



## दूसरी SECOND

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए  
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)  
(Excluding Railways)

## 2013-2014

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)  
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2013

## परिचायक टिप्पणी

**विषय :** अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरी बैच 2013-14.

वर्ष 2013-14 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 60 अनुदानों और 1 विनियोजन शामिल हैं। ₹18,594.27 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹13,126.93 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹5,466.25 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 109 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नगद खर्च वाले प्रस्ताव के परिणामस्वरूप बजट अनुमान 2013-14 में प्रक्षेपित घाटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।

3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

## INTRODUCTORY NOTE

**Subject :** *Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2013-2014.*

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2013-2014 includes 60 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹18,594.27 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹13,126.93 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹5,466.25 crore. Besides, token provision of ₹109 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo will not result in any significant variation in deficit projected in Budget Estimates 2013-2014.

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>7 उर्वरक विभाग</b> देशी उर्वरकों के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹5,500 करोड़)।	<b>7 Department of Fertilisers</b> For providing additional subsidy under indigenous fertilisers (₹ 5,500 crore).	-	2,000.00	2,000.00
<b>कोयला मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COAL</b>			
<b>10 कोयला मंत्रालय</b> निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय (क) 'विस्तृत ड्रिलिंग' की स्कीम के अंशदान (₹30 करोड़), (ख) 'क्षेत्रीय समन्वेषण' स्कीम के लिए अंशदान (₹20 करोड़), (ग) 'कोयला फील्ड क्षेत्रों कोयला व लिग्नाइट में यातायात अवसंरचना का विकास' संबंधी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹26.07 करोड़), जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹1.07 करोड़ शामिल हैं, और (घ) कोयला फील्ड क्षेत्रों में यातायात अवसंरचना के विकास के लिए उप कर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के लिए सब्सिडी (₹25 करोड़)।	<b>10 Ministry of Coal</b> For additional expenditure towards (a) contributions for the scheme of 'Detailed Drilling' (₹ 30 crore), (b) contributions for the scheme 'Regional Exploration' (₹ 20 crore), (c ) Subsidy (₹ 26.07 crore) under the scheme of 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'-Coal and Lignite including ₹ 1.07 crore for North-Eastern Region, and (d) Subsidy (₹25 crore) against collection of cess (Excise Duty) towards 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas.	100.00	-	100.00
<b>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>11 वाणिज्य विभाग</b> 1 अगस्त, 2013 से ब्याज की राजकीय सहायता दरों में 2% से 3% की वृद्धि के कारण ब्याज की राजकीय सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त खर्च (₹275 करोड़) के लिए।	<b>11 Department of Commerce</b> For additional expenditure (₹ 275 crore) under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3% w.e.f. 1st August, 2013.	-	4.00	4.00
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>34 वित्तीय सेवा विभाग</b> निम्न को कॉर्पस निधि प्रदान करने के लिए (क) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (₹500 करोड़) और (ख) फैक्ट्रिंग एक्ट, 2011 के अनुसार	<b>34 Department of Financial Services</b> For providing corpus to (a) National Credit Guarantee Trust Company to set up a credit Guarantee Fund for Skill Development (₹ 500 crore), and (b) Small Industrial			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (₹500 करोड़)।	Development Bank of India (₹ 500 crore) to set up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011.	500.00	-	500.00
<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>51 भारी उद्योग विभाग</b>	<b>51 Department of Heavy Industry</b>			
हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूंजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए व्यय हेतु।	For expenditure towards meeting the Capital Gain Tax Liability of Heavy Engineering Corporation Limited.	-	182.43	182.43
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>			
<b>74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>74 Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>			
निम्न के लिए (क) पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड के संस्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए (₹7.17 करोड़), (ख) (i) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (₹9,000 करोड़) और (ii) एलपीजी उपभोक्ता स्कीम की नकद सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण (₹1,336 करोड़) के लिए तेल विपणन कंपनियों को भुगतान करने के लिए।	For (a) meeting establishment related expenditure of Petroleum Regulatory Board (₹ 7.17 crore), (b) releasing payments to Oil Marketing Companies on account of (i) sale of petroleum products (₹ 9,000 crore), and (ii) Direct Transfer of Cash Subsidy of LPG Consumers Scheme (₹ 1,336 crore).	-	10,336.00	10,336.00
<b>राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय</b>	<b>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT</b>			
<b>77 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय</b>	<b>77 Staff, Household and Allowances of the President</b>			
अतिरिक्त संस्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए (₹4.73 करोड़)।	For meeting additional establishment related expenditure (₹ 4.73 crore).	-	4.50	4.50
<b>कुल नकद खर्च</b>	<b>Total Cash Outgo</b>	<b>600.00</b>	<b>12,526.93</b>	<b>13,126.93</b>
4. अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में ₹5466.25 करोड़ की तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोजन शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/उगाहियों या मंत्रालयों/विभागों की तत्संबंधी बचतों से सुयोजित की गई हैं। मदें निम्नानुसार हैं :-	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 5,466.25 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
<b>अनुदानों हेतु तकनीकी पूरक मांगें</b>	<b>Technical Supplementary Demands for grants</b>			
<b>नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9 नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर रेडियो लोजिकल डिटेक्शन उपकरणों के प्रापण और अधिष्ठापन संबंधी व्यय के लिए।	For expenditure towards procurement and installation of Radiological Detection Equipments at International Airports.	30.00	-	30.00
<b>कोयला मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COAL</b>			
<b>10 कोयला मंत्रालय</b>	<b>10 Ministry of Coal</b>			
कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु भू-विस्थापितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का खर्च पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited.	-	1,672.00	1,672.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>11 वाणिज्य विभाग</b>	<b>11 Department of Commerce</b>			
(क) 1 अगस्त, 2013 से ब्याज इमदाद को 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत करने से हुई वृद्धि के कारण ब्याज इमदाद योजना के तहत अतिरिक्त खर्च (₹275 करोड़) हेतु।	(a) For additional expenditure (₹ 275 crore) under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3% w.e.f. 1st August, 2013.	-	50.00	50.00
(ख) डीजीएसएंडडी के संबंध में न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure arising out of court decree in respect of DGS&D.	-	0.20	0.20
<b>12 आद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</b>	<b>12 Department of Industrial Policy and Promotion</b>			
(क) निवेश सहायता (पुरानी) योजना के तहत न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु	(a) For meeting expenditure arising out of court decree under Investment Subsidy (Old) Scheme.	0.04	-	0.04
(ख) बौद्धिक संपदा कार्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards construction of office buildings for Modernisation & Strengthening of Intellectual Property Offices.	-	8.00	8.00
<b>संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>			
<b>13 डाक विभाग</b>	<b>13 Department of Posts</b>			
(क) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court judgement.	-	0.12	0.12
(ख) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले तमिलनाडु में अधिग्रहीत भूमि और भवन की संवर्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards payment of enhanced compensation of land and building acquired in Tamil Nadu circle arising out of court judgement.	0.67	-	0.67
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>32 विदेश मंत्रालय</b>	<b>32 Ministry of External Affairs</b>			
मालदीव की सरकार को स्टैंडबाई क्रेडिट सुविधा (₹155 करोड़) देने हेतु।	For providing Standby Credit Facility (₹ 155 crore) to Government of Maldives.	-	125.00	125.00
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33 आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>33 Department of Economic Affairs</b>			
(क) स्थापना, आदि (₹25.76 करोड़), (ख) कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि के तहत विनिमय दर बदलाव (₹7 करोड़), (ग) अफ्रीकी विकास निधि की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (₹1.28 करोड़), (घ) (i) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को दिए गए अवसंरचना ऋण का सामान्य अनुदान सहायता में रूपान्तरण (₹12.50 करोड़), (ii) तकनीकी सहयोग के लिए सामूहिक धन निधि (₹0.80 करोड़), (iii) राजकोषीय संबंधों पर आर्थिक सहयोग एवं विकास नेटवर्क संगठन (₹0.36 करोड़), (iv) एड्स, टीबी एवं मलेरिया के लिए सृजित नई वैश्विक निधियों हेतु खर्च संबंधी अनुदान सहायता (₹20.59 करोड़), और (v) टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक	For additional expenditure towards (a) establishment, etc (₹ 25.76 crore), (b) exchange rate fluctuations under International Fund for Agricultural Development (₹ 7 crore), (c) Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund (₹ 1.28 crore), (d) (i) conversion of infrastructure loan (₹ 12.50 crore) into Grants-in-aid General to National Council for Applied Economic Research, (ii) Common Wealth Fund for Technical Cooperation (₹ 0.80 crore), (iii) Organisation for Economic Cooperation and Development Network on Fiscal Relations (₹ 0.36 crore), (iv) Grants-in-aid related expenditure for newly created Global Funds for AIDS, TB			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गठबंधन (₹6.20 करोड़), तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों एवं वैश्विक पर्यावरण को अंशदान हेतु विनिमय दर भिन्नता (₹6.60 करोड़) के अतिरिक्त खर्च हेतु।	and Malaria (₹ 20.59 crore), and (v) Global Alliance for Vaccination and Immunisation (₹ 6.20 crore), and (e) exchange rate variation (₹ 6.60 crore) for Contribution to United Nations Development Programmes and Global Environment.	-	65.56	65.56
<b>34 वित्तीय सेवाएं विभाग</b> स्ट्रेसड ऐसैट स्टेबिलाइजेशन फंड को प्रतिभूति के प्रतिदान हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।	<b>34 Department of Financial Services</b> For meeting expenditure towards redemption of securities to Stressed Assets Stabilisation Fund.	-	300.00	300.00
<b>36 राज्य एवं संघ क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण</b> 13वीं वित्त समिति की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों को दिए गए ऋण को बट्टे खाते डालने हेतु।	<b>36 Transfers to State and Union Territory Governments</b> For write off of loans to State Governments as per 13th Finance Commission's recommendations.	-	63.69	63.69
<b>42 राजस्व विभाग</b> न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रय कर एवं उस पर ब्याज के भुगतान के खर्च हेतु।	<b>42 Department of Revenue</b> For expenditure towards payment of Purchase Tax and Interest thereon as per Court's order.	-	26.50	26.50
<b>44 अप्रत्यक्ष कर</b> (क) 'पुरस्कारों' (₹7 करोड़), और (ख) विज्ञापन एवं प्रचार (₹34.42 करोड़) के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	<b>44 Indirect Taxes</b> For meeting additional expenditure towards (a) 'Rewards' (₹ 7 crore), and (b) Advertising & Publicity (₹ 34.42 crore).	-	31.02	31.02
<b>परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>			
<b>47 परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग</b> माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में विवाचन निर्णय से संबंधित भुगतान के लिए।	<b>47 Department of Health and Family Welfare</b> For making payment to relating to Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi.	-	16.29	16.29
<b>48 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग</b> कार्यालय भवन के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	<b>48 Department of Ayurveda, Yoga &amp; Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)</b> For meeting additional expenditure towards acquisition of office building.	18.00	-	18.00
<b>भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>51 भारी उद्योग विभाग</b> (क) एचएमटी लिमिटेड के संबंध में (i) ऋण पर ब्याज (₹201.88 करोड़), (ii) गारंटी शुल्क (₹3.76 करोड़) माफ करने, (ख) (i) ऋण माफ करने (₹38.99 करोड़), (ii) एन्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के संबंध में संचित हानियों (₹12.95 करोड़) के प्रति भारत सरकार की इक्विटी को बट्टे खाते डालने, तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के गारंटी शुल्क (₹2.53 करोड़) को माफ करने के लिए।	<b>51 Department of Heavy Industry</b> For (a) waiver of (i) interest on loan (₹ 201.88 crore), (ii) Guarantee Fee (₹ 3.76 crore) in respect of HMT Limited, (b) (i) waiver of loan (₹ 38.99 crore), (ii) write off of Government of India Equity against accumulated losses (₹ 12.95 crore) in respect of Andrew Yule and Company Limited, and (c ) waiver of guarantee fee (₹ 2.53 crore) of Heavy Engineering Corporation Limited.	-	260.11	260.11
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>55 पुलिस</b> (क) सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को अंतिम उपदान के भुगतान (₹8.17 करोड़), (ख) (i) (1) वेतन (₹2,220.11 करोड़), (2) पीओएल (₹41.01 करोड़), दिल्ली पुलिस	<b>55 Police</b> For (a) payment of terminal gratuity for personnel of Sashastra Seema Bal (₹ 8.17 crore), (b) expenditure on (i) (1) Salary (₹ 2,220.11 crore), (2) POL (₹			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के लिए अन्य प्रभारों (₹71 करोड़ रु.), तथा (ii) निर्भया निधि (₹2 करोड़ रु.) पर व्यय के लिए।	41.01 crore), (3) Other Charges for Delhi Police (₹ 71 crore), and (ii) Nirbhaya Fund (₹ 2 crore).	-	2,230.28	2230.28
(ख) (i) (1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (15 करोड़), (2) सीमा सुरक्षा बल (₹50 करोड़), (3) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (₹0.14 करोड़) (4) दिल्ली पुलिस (₹60 करोड़) के मोटर वाहनों तथा (ii) निर्भया निधि (₹1 करोड़) पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on (i) Motor Vehicles of (1) Central Reserve Police Force (₹ 15 crore), (2) Border Security Force (₹ 50 crore), (3) National Crime Records Bureau (₹ 0.14 crore), (4) Delhi Police (₹ 60 crore) and (ii) Nirbhaya Fund (₹ 1 crore).	-	1.00	1.00
<b>57 संघ क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण</b>	<b>57 Transfers to Union Territory Governments</b>			
(क) विश्व बैंक से अनुदान (₹0.64 करोड़), (ख) पुदुचेरी की सरकार को पास थू सहायता (₹9.96 करोड़) के लिए।	For (a) Grants from World Bank (₹ 0.64 crore), (b) loan as Pass through assistance (₹ 9.96 crore) to Government of Puducherry.	10.60	-	10.60
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>			
<b>61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>61 Ministry of Information and Broadcasting</b>			
सूचना एवं प्रचार पर अतिरिक्त पूंजीगत परिव्यय खर्च के लिए।	For additional capital outlay expenditure on Information and Publicity.	1.70	-	1.70
<b>खान मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MINES</b>			
<b>67 खान मंत्रालय</b>	<b>67 Ministry of Mines</b>			
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समुद्र में जाने वाली अनुसंधान पोतों की खरीद से संबंधित परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards payment of Consultancy Fees relating to procurement of the Ocean Going Research Vessel of Geological Survey of India.	5.00	-	5.00
<b>नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY</b>			
<b>69 नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	<b>69 Ministry of New and Renewable Energy</b>			
राष्ट्रीय निर्मल ऊर्जा निधि से पूरा की जाने वाली नई और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत खर्च को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure under New and Renewable Energy to be met from National Clean Energy Fund.	183.41	-	183.41
<b>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>			
<b>73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>	<b>73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b>			
(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायतकर्ताओं को ट्रेप मनी (₹0.40 करोड़) की प्रतिपूर्ति, (ख) (i) कार्यालय व्यय (3.15 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़ रु.), और किराया, दरों और करों (₹4 करोड़) पर सीबीआई के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने तथा (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त खर्च (₹1.87 करोड़) पूरा करने के लिए।	For (a) reimbursement of trap money (₹ 0.40 crore) to complainants in Central Bureau of Investigation (CBI), (b) meeting additional expenditure of CBI on (i) Office Expenses (₹ 3.15 crore), (ii) Medical Treatment (₹ 1 crore), and (iii) Rent, Rates and Taxes (₹ 4 crore), and (c ) additional expenditure of Central Vigilance Commission (₹ 1.87 crore).	-	10.42	10.42
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF POWER</b>			
<b>76 विद्युत मंत्रालय</b>	<b>76 Ministry of Power</b>			
त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत खर्च को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme.	125.00	-	125.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>93 वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>93 Ministry of Textiles</b>			
मैसर्स बर्ड्स जूट एवं निर्यात लिमिटेड को उनके स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार ऋण उपलब्ध करने हेतु।	For providing loan to M/s Birds Jute and Export Limited in terms of their approved Revival Plan.	-	0.50	0.50
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TOURISM</b>			
<b>94 पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>94 Ministry of Tourism</b>			
बौद्ध केन्द्रों के तहत जेआईसीए सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को परामर्शी (₹1.50 करोड़) के भुगतान हेतु।	For payment to consultants (₹ 1.50 crore) to JICA aided projects under Buddhist Centres.	1.00	-	1.00
<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>			
<b>95 जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>95 Ministry of Tribal Affairs</b>			
(क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (₹2 करोड़), तथा (ख) लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र (₹119.35 करोड़) की योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान सहायता के लिए।	For Grants-in-aid General under the schemes of (a) Vocational Training in Tribal Areas (₹ 2 crore), and (b) Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (₹ 119.35 crore).	74.35	-	74.35
<b>संघ क्षेत्र (विधानसभा के बिना)</b>	<b>UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)</b>			
<b>96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप</b>	<b>96 Andaman and Nicobar Islands</b>			
विद्युत उत्पादन के लिए एचएसडी की खरीद हेतु अतिरिक्त खर्च (₹160 करोड़) को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure (₹ 160 crore) for purchase of HSD for Power generation.	-	122.22	122.22
<b>शहरी विकास विभाग</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>101 शहरी विकास विभाग</b>	<b>101 Department of Urban Development</b>			
राष्ट्रपति संपदा के लिए (क) लघु कार्य (₹5.87 करोड़), (ख) किराया, दरों एवं करों (₹6 करोड़), और दीर्घ कार्य (₹21.70 करोड़) के खर्च हेतु।	For expenditure towards (a) Minor Works (₹ 5.87 crore), (b) Rent, Rates and Taxes (₹ 6 crore), and (c) Major Works (₹ 21.70 crore) for President's Estate.	-	33.57	33.57
<b>कुल तकनीकी</b>	<b>Total Technical</b>	<b>449.77</b>	<b>5,016.48</b>	<b>5,466.25</b>
5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रु. प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके सामने इंगित खर्च को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजीगत खंड, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।	5. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
<b>अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें</b>	<b>Token Supplementary Demands for grants</b>			
<b>कृषि मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE</b>			
<b>1 कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>	<b>1 Department of Agriculture and Cooperation</b>			
(क) 'फसल कटाई' के तहत अनुदान सहायता संबंधित खर्च के लिए।	(a) Grants-in-aid related expenditure under 'Crop Husbandry'.	165.07	-	165.07
(ख) दामोदर घाटी निगम हेतु सामान्य सहायता-अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General to Damodar Valley Corporation.	-	0.45	0.45
(ग) राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु और जनजातीय क्षेत्रीय उप-योजना हेतु अतिरिक्त सहायता-अनुदान।	(c) For Grants-in-aid General under National Mission on Bamboo Technology and additional Grants-in-aid for Tribal Area Sub-Plan.	28.00	-	28.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) 'एकीकृत ऑयलसीड्स/ऑयलपाम/दाल एवं मक्का विकास योजना के पक्ष में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(d) For Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan towards the Scheme of 'Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.	24.22	-	24.22
(ङ) राष्ट्रीय जैव कृषि प्रचार परियोजना के अंतर्गत मुख्य कार्य के पक्ष में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards Major Works under National Project on promotion of organic farming.	3.80	-	3.80
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>4 परमाणु ऊर्जा</b>	<b>4 Atomic Energy</b>			
(क) शुरू किए गए नए शीर्षों के अंतर्गत नाभिकीय रिसाइकल बोर्ड (एनआरबी) के व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure of Nuclear Recycle Board (NRB) under newly opened heads.	-	316.08	316.08
(ख) रणनीतिक गतिविधियों हेतु सुरक्षा प्राधिकरण के पक्ष में व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Safety Authority for Strategic Activities.	-	10.00	10.00
(ग) परमाणु ऊर्जा उद्योगों से संबंधित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional capital expenditure relating to Atomic Energy Industries.	8.00	2.45	10.45
(घ) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय के पक्ष में व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting expenditure towards Capital Outlay on Atomic Energy Research.	550.72	-	550.72
<b>5 नाभिकीय विद्युत स्कीमें</b>	<b>5 Nuclear Power Schemes</b>			
(क) भारतीय निर्भया विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) में निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 61.33 करोड़) और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के संबंध में इक्विटी के लिए ब्याज मुक्त ऋण के अंतरण के लिए पूर्वावधि समायोजन रखा (₹ 29 करोड़) के लिए।	For (a) additional expenditure (₹ 61.33 crore) towards investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited (BHAVINI), and (b) carrying out prior period adjustment towards conversion of interest-free loan to equity (₹ 29 crore) in respect of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).	90.33	-	90.33
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>8 फार्मास्यूटिकल्स विभाग</b>	<b>8 Department of Pharmaceuticals</b>			
मेसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड को उनके कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु ऋण प्रदान करने के लिए।	For providing loan to M/s Hindustan Antibiotics Limited towards payment of salaries of their employees.	-	5.00	5.00
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>9 नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>9 Ministry of Civil Aviation</b>			
(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय।	(a) For expenditure towards Grants for creation of Capital Assets to Airport Authority of India.	129.17	-	129.17
(ख) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority.	-	1.10	1.10
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>12 औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग</b>	<b>12 Department of Industrial Policy and Promotion</b>			
निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (क) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान (₹ 3 करोड़) और (ख) निम्न को वेतन (i) राष्ट्रीय सीमेंट	For additional expenditure towards (a) contribution (₹ 3 crore) to United Nations Industrial Development Organisation, and			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और बिल्डिंग सामग्री परिषद (₹ 0.50 करोड़), और (ii) पेपर, लुगदी और संबल उद्योग विकास परिषद (₹ 0.50 करोड़)।	(b) Grants-in-aid Salary to (i) National Council for Cement and Building Material (₹ 0.50 crore), and (ii) Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries (₹ 0.50 crore).	-	4.00	4.00
<b>संप्रेषण एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>			
<b>14 दूर संचार विभाग</b>	<b>14 Department of Telecommunications</b>			
(क) हेमिस्फेयर प्रोपर्टिज इंडिया लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु।	(a) For equity investment in Hemisphere Properties India Limited.	0.03	-	0.03
(ख) हेमिस्फेयर प्रोपर्टिज इंडिया लिमिटेड में ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) For providing loan to Hemisphere Properties India Limited.	1.00	-	1.00
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>			
<b>17. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>17 Department of Food and Public Distribution</b>			
दादर एवं नगर हवेली (₹ 0.74 करोड़) तथा लक्षद्वीप (₹ 0.70 करोड़) में टीपीडीएस प्रचालनों एंडटूएंड कम्प्यूटरीकरण के लिए।	For end to end computerisation of TPDS operations in (a) Dadra & Nagar Haveli (₹ 0.74 crore), and (b) Lakshadweep (₹ 0.70 crore).	1.44	-	1.44
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CULTURE</b>			
<b>19. संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>19 Ministry of Culture</b>			
(क) कला और संस्कृति के अंतर्गत व्यय संबंधी लिए अनुदानों के लिए।	(a) For Grants related expenditure under Art and Culture.	98.72	18.43	117.15
(ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में व्यय संबंधी अनुदानों के लिए।	(b) For Grants related expenditure in North Eastern Areas.	36.47	-	36.47
(ग) स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्मशती मनाने के लिए "शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह" योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) तथा (ii) टैगोर सांस्कृतिक परिसर के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) हेतु।	(c) For (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Centenaries and Anniversaries Celebration' to commemorate 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹ 2 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Tagore Cultural Complexes (₹ 10 crore).	12.00	-	12.00
(घ) (i) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 1 करोड़), (ii) सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 1 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (₹1 करोड़) की भवन परियोजनाओं के लिए मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure under Major Works towards building projects of (i) National Museum (₹ 1 crore), (ii) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1 crore), and (iii) National Gallery of Modern Arts (₹ 1 crore).	3.00	-	3.00
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>			
<b>22. रक्षा सेवाएं-थल सेना</b>	<b>22 Defence Services - Army</b>			
राष्ट्रीय पर्वतारोहण तथा संबद्ध खेल संस्थान तथा अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid to National Institute of Mountaineering and Allied Sports and other Institutes.	-	33.00	33.00
<b>25. रक्षा आयुध निर्माणियां</b>	<b>25 Defence Ordnance Factories</b>			
विद्यालयों को सहायता अनुदान दिये जाने के लिए।	For providing Grants-in-aid to Schools.	-	0.15	0.15
<b>27. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय</b>	<b>27 Capital Outlay on Defence Services</b>			
निम्नलिखित पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (क) सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए (₹ 359 करोड़), (ख) मशीनरी और उपकरणों	For meeting expenditure on (a) acquisition of land for Army (₹ 359 crore), (b) procurement of machinery and equipment			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
की अधिप्राप्ति के लिए (₹150 करोड़), (ग) निर्माण कार्य (₹ 50 करोड़), अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु। (घ) आयुध कारखानों के लिए मशीनरी उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए, (₹ 120 करोड़), (ङ) रोलिंग स्टॉक और मेक प्रोसीजर (₹ 0.01 करोड़)।	(₹ 150 crore), (c ) works (₹ 50 crore) for research and development, (d) procurement of machinery and equipment (₹ 120 crore) for Ordnance Factories, and (e) Rolling Stock and Make Procedure (₹ 0.01 crore).	-	679.01	679.01
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION</b>			
<b>28. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Development of North Eastern Region</b>			
(क) उत्तरपूर्वी क्षेत्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि. (एनईएचएचडीसी)। को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General for implementation of Voluntary Retirement Scheme to North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited (NEHHDC).	2.00	-	2.00
(ख) एनईएचएचडीसी में साझा निवेश के लिए।	(b) For equity investment in NEHHDC.	4.00	-	4.00
<b>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS</b>			
<b>31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	<b>31 Ministry of Environment and Forests</b>			
निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दिए जाने वाले सामान्य सहायता अनुदान पर आने वाले खर्च का पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on Grants-in-aid General towards Externally Aided Projects under the schemes of (a) Assistance for Abatement of Pollution (₹ 1 crore) and (b)			
(ख) प्रदूषण के शमन हेतु सहायता (₹ 1 करोड़) और	Desertification Cell (₹ 1.50 crore).	2.50	-	2.50
(ख) डिजिटलफिकेशन सेल (₹1.50 करोड़)।				
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>32 विदेश मंत्रालय</b>	<b>32 Ministry of External Affairs</b>			
भूटान शाही सरकार की सहायता देने हेतु।	For providing aid to Royal Government of Bhutan.	-	661.00	661.00
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>33. आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>33 Department of Economic Affairs</b>			
(क) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस एण्ड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. से सिक्कों की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For additional expenditure towards purchase of coins from Security Printing and Mining Corporation of India Limited.	-	355.00	355.00
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश से सम्बंधित अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For additional expenditure relating to Investments in International Financial Institutions.	-	157.01	157.01
<b>39 व्यय विभाग</b>	<b>39 Department of Expenditure</b>			
सातवें वेतन आयोग के गठन के लिए।	For setting up of Seventh Pay Commission.	-	3.50	3.50
<b>42. राजस्व विभाग</b>	<b>42 Department of Revenue</b>			
(क) कर प्रशासन सुधार आयोग (₹ 2.58 करोड़) पर आने वाले खर्च के लिए और (ख) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान (₹ 0.22 करोड़) के लिए।	For expenditure (a) of the Tax Administration Reform Commission (₹ 2.58 crore), and (b) contribution (₹ 0.22 crore) to various International Organisations.	-	2.80	2.80
<b>43. प्रत्यक्ष कर</b>	<b>43 Direct Taxes</b>			
कोच्चि में नये कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए और मैसूर में आवासीय क्वार्टरों, गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए।	For expenditure towards purchase of land for construction of new office complex at Kochi and construction of residential quarters, Guest House at Mysuru.	-	16.10	16.10

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>44. अप्रत्यक्ष कर</b>	<b>44 Indirect Taxes</b>			
(क) सीमा शुल्क विभाग के तहत दिये जाने वाले 'पुरस्कार' पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For additional expenditure towards 'Rewards' under Customs Department.	-	8.00	8.00
(ख) आवास पर आने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For additional outlay on Housing.	-	1.86	1.86
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>			
<b>47. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>47 Department of Health and Family Welfare</b>			
(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले खर्च से सम्बंधित अनुदान के लिए।	(a) For Grants related expenditure under Medical and Public Health.	1,194.71	172.82	1,367.53
(ख) परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाले खर्च से सम्बंधित अनुदान।	(b) For Grants related expenditure under Family Welfare.	2,247.78	0.50	2248.28
(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों को लाभ देने हेतु किये जाने वाले खर्च से सम्बंधित अनुदान।	(c) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Region.	681.99	-	681.99
(घ) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर होने वाले पूंजीगत परिव्यय पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure on Capital Outlay on Medical and Public Health.	151.48	-	151.48
<b>49. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b>	<b>49 Department of Health Research</b>			
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के व्यय से सम्बंधित अनुदान।	For Grants related expenditure of Indian Council of Medical Research, New Delhi.	281.60	94.00	375.60
<b>भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>51. भारी उद्योग विभाग</b>	<b>51 Department of Heavy Industry</b>			
(क) निम्नलिखित से सम्बंधित ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए। (i) एचएमटी लि. (₹443.74 करोड़), और (ii) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि. (₹41.52 करोड़)।	(a) For conversion of Loan into Equity in respect of (i) HMT Limited (₹ 443.74 crore), and (ii) Andrew Yule and Company Limited (₹ 41.52 crore).	485.26	-	485.26
(ख) एनईपीए लि. में साम्या निवेश के लिए।	(b) For equity investment in NEPA Limited.	54.00	-	54.00
(ग) एनईपीए लि. को ऋण देने के लिए।	(c) For providing loan to NEPA Limited.	-	17.18	17.18
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>53. गृह मंत्रालय</b>	<b>53 Ministry of Home Affairs</b>			
एनडीसीसी II भवन के लिए किराया के भुगतान के हेतु।	For payment of rent towards NDCC II Building.	-	18.00	18.00
<b>55. पुलिस</b>	<b>55 Police</b>			
(क) निम्नलिखित पर आने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) कांटेदार तारों से घेरा खड़ा करने हेतु (₹ 20 करोड़), (ii) भारत बंगला देश सीमा निर्माण कार्य के अंतर्गत बार्डर आउट पोस्ट (₹20 करोड़), (iii) सीमा सु'क्षा बल के अंतर्गत आने वाले बार्डर आउट पोस्ट (₹11.57 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure on (i) Erection of Barbed Wire Fending (₹ 20 crore), (ii) Border Out Post (₹ 20 crore) under Indo-Bangladesh Border Works, and (iii) Border Out Posts (₹ 11.57 crore) under Border Security Force.	51.57	-	51.57
(ख) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल पर आने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए (i) आवासीय भवन (₹ 60 करोड़), (ii) कार्यालय भवन (₹30 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure of Central Reserve Police Force on (i) Residential Building (₹ 60 crore), and (ii) Office Building (₹ 30 crore).	90.00	-	90.00
<b>56. गृह मंत्रालय के अन्य खर्च</b>	<b>56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs</b>			
(क) सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure under Civic Action Programme.	-	7.52	7.52
(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरएफ) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure of National Disaster Management Authority (NDRF).	-	2.50	2.50
(ग) एनडीआरएफ के आवासीय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure under Residential Building of NDRF.	-	0.09	0.09

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन</b>	<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION</b>			
<b>58. हाऊसिंग और शहरी गरीबी मंत्रालय</b>	<b>58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>			
(क) राजीव ऋण योजना की नई स्कीम के तहत सब्सिडी हेतु।	(a) For Subsidy under the new scheme of Rajiv Rin Yojana.	50.00	-	50.00
(ख) राजीव आवास योजना स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	(b) For additional expenditure under the scheme of Rajiv Awaas Yojana.	75.00	-	75.00
(ग) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ के लिए शहरी गरीब लोगों को शेल्टर के निर्माण/उन्नयन के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान।	(c) For additional Grants-in-aid General towards construction/upgradation of shelters for urban poor for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim.	21.00	-	21.00
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>			
<b>59. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>	<b>59 Department of School Education and Literacy</b>			
(क) 'सर्व-शिक्षा अभियान' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants in aid General under the scheme of 'Sarva Shiksha Abhiyan'.	2,142.44	-	2142.44
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु अनुदान से संबद्ध व्यय के लिए।	(b) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Areas.	286.79	-	286.79
<b>60 उच्चतर शिक्षा विभाग</b>	<b>60 Department of Higher Education</b>			
(क) पुस्तक प्रन्नति के लिए राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट/संस्थानों को अनुदान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General under the scheme 'Grants to National Book Trust/Institutions for Book Promotion'.	10.00	-	10.00
(ख) 'कापीराइट कार्यालय' संबंधी व्यय संबंधी व्यय के संबंध में सहायता अनुदान।	(b) For Grant-in-aid related expenditure relating to 'Copy Right Office'.	-	1.00	1.00
(ग) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(c) For Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'National Institutes of Technical Teachers Training and Research'.	8.00	-	8.00
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्थानों को व्यय संबंधी अनुदान हेतु।	(d) For Grants related expenditure to institutes in North Eastern Areas.	150.00	-	150.00
<b>सूचना और प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>			
<b>61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>61 Ministry of Information and Broadcasting</b>			
(क) (i) सोशल मिडिया सेल स्कीम (₹ 2 करोड़), और (ii) प्रसारण विंग का स्वचालन (₹ 9.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय हेतु।	(a) For expenditure under (i) Social Media Cell Scheme (₹ 2 crore), and (ii) automation of broadcasting wing (₹ 9.50 crore).	11.50	-	11.50
(ख) सूचना और प्रसार के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under 'Information and Publicity'.	10.00	1.00	11.00
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>			
<b>64. विधि और न्याय मंत्रालय</b>	<b>64 Law and Justice</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक सुविधाएं (₹ 20 करोड़), (ii) जिला व अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण (₹ 108 करोड़)।	(a) For Grants for creation of Capital Assets towards (i) Infrastructural Facilities to Judiciary (₹ 20 crore), (ii) Computerisation of District and Subordinate Courts (₹ 108 crore).	128.00	-	128.00
(ख) इंटरनेशनल सेंटर फोर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजाल्यूशन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(b) For Grants for creation of Capital Assets to International Centre for Alternative Dispute Resolution.	-	5.51	5.51

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) न्यायपालिक को अवसंरचना सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to State Governments for Infrastructural Facilities to Judiciary.	756.00	-	756.00
(घ) न्यायापालिका को अवसंरचना सुविधाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(d) For Grants-in-aid General to Union Territory (without Legislature) for Infrastructural Facilities to Judiciary.	40.00	-	40.00
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>			
<b>66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>			
ग्राम और लघु उद्योगों के तहत व्यय संबंधी अनुदान हेतु।	For Grants related expenditure under Village and Small Industries.	-	85.40	85.40
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF POWER</b>			
<b>76. विद्युत मंत्रालय</b>	<b>76 Ministry of Power</b>			
(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रवासी परियोजना के सुधार हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards improvement of power system project in North Eastern States.	62.35	-	62.35
(ख) संयुक्त इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोग, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting establishment related expenditure of the office of Joint Electricity Regulatory Commission, Goa and Union Territories.	-	1.50	1.50
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>			
<b>83. ग्रामीण विकास विभाग</b>	<b>83 Department of Rural Development</b>			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) कौशल सशक्तिकरण और रोजगार स्पीकर के तहत (₹ 40 करोड़), (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोन्नति सोसायटी (₹ 6.14 करोड़), (2) एनआरएलएम के तहत 150 जिलों में महिला स्वयं समूह (₹ 652 करोड़), और (3) एनआरएलएम के तहत भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (₹ 200 करोड़), के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For meeting additional expenditure (i) under Skill Empowerment and Employment Scheme (₹ 40 crore), (ii) towards Grants-in-aid General to (1) National Rural Livelihood Promotion Society (₹ 6.14 crore), (2) Women Self Help Groups in 150 districts under NRLM (₹ 652 crore), and (3) Bharat Rural Livelihood Foundation under NRLM (₹ 200 crore).	898.14	-	898.14
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) डीआरडीए प्रशासन के तहत (₹ 150 करोड़), और (ii) बीपीएल सर्वेक्षण के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए (₹ 247.29 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure (i) under DRDA Administration (₹ 150 crore), and (ii) towards Administrative Expenses under BPL Survey (₹ 247.29 crore).	397.29	-	397.29
<b>84. भू-संसाधन विभाग</b>	<b>84 Department of Land Resources</b>			
राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure under National Land Records Modernisation Programme.	50.00	-	50.00
<b>नौवहन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SHIPPING</b>			
<b>88 नौवहन मंत्रालय</b>	<b>88 Ministry of Shipping</b>			
कैपिटल ट्रैजिंग प्रोजेक्ट ऑफ मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट संबंधी अतिरिक्त व्यय करने हेतु।	For meeting additional expenditure relating to Capital Dredging Project of Mormugao Port Trust.	14.95	-	14.95

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>			
<b>89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>89 Ministry of Social Justice and Empowerment</b>			
(क) अनु.जाति के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना (₹ 600 करोड़); (ख) अनु.जाति हेतु मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 170 करोड़), (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 161 करोड़), अनु.जाति छात्रों की मेरिट का उन्नयन (₹ 2 करोड़), (घ) अनु.जाति के लिए श्रेष्ठ शिक्षा (₹ 2 करोड़), और (ङ) मैला ढोने वाले व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 1 करोड़)।	For (a) providing Scholarship under Direct Benefit Transfer in the Scheme of Post Matric Scholarship for SCs (₹ 600 crore), (b) Pre-Matric Scholarship for SCs (₹ 170 crore), (c ) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 161 crore), Upgradation of Merit of SC Students (₹ 2 crore), (d) Top Class Education for SCs (₹ 2 crore) and (e) Pre-Matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations (₹ 1 crore).	936.00	-	936.00
(ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को वेतन सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid Salary to National Institutes for Social Defence.	-	0.55	0.55
<b>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION</b>			
<b>91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>91 Ministry of Statistics and Programme Implementation</b>			
(क) एमपाएलएडी स्कीम के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under the MPLAD scheme.	5.00	-	5.00
(ख) जनगणना सर्वेक्षण सांख्यिकी के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General towards Census Surveys and Statistics.	1.25	-	1.25
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>93. कपड़ा मंत्रालय</b>	<b>93 Ministry of Textiles</b>			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ हेतु, प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(a) For augmenting provisions for the benefit of North Eastern Areas.	52.86	-	52.86
(ख) ग्राम व लघु उद्योगों के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(b) For augmenting provisions under Village and Small Industries.	140.94	19.67	160.61
(ग) उद्योग के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(c) For augmenting provisions under Industries.	64.67	42.10	106.77
(घ) राज्य सरकारों को प्रतिबद्ध देयता के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(d) For Grants-in-aid General towards setting off the committed liability to State Governments.	-	14.72	14.72
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TOURISM</b>			
<b>94. पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>94 Ministry of Tourism</b>			
(क) (i) पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्र एजेंसियों को सहायता (₹ 25 करोड़), (ii) डेस्टिनेशन और सर्किट्स के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (₹ 60 करोड़), और (iii) हुनर से रोजगार (₹ 0.30 करोड़), स्कीम के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under the scheme of (i) Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development (₹ 25 crore), (ii) Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 60 crore), and (iii) Huner se Rozgar (₹ 0.30 crore).	85.30	-	85.30
(ख) डेस्टिनेशन और सर्किट्स के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास स्कीम के तहत राज्य सरकारों के अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure as Grants to State Governments under the Scheme of Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits.	40.00	-	40.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>			
<b>95. जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>95 Ministry of Tribal Affairs</b>			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु सामान्य सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि संबंधी प्रावधानों में बढेत्तरी।	For augmentation of provisions relating to Grants-in-aid General, Scholarships, etc for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	23.81	-	23.81
<b>संघराज्य क्षेत्र, विधानमंडल रहित</b>	<b>UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURES</b>			
<b>96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>96 Andaman and Nicobar Islands</b>			
(क) सोसायटी फोर साइन्स सेंटर को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए।	(a) For additional Grants-in-aid to Society for Science Centre.	0.90	-	0.90
(ख) निम्न को अतिरिक्त सहायता अनुदान (i) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (₹ 5 करोड़), तथा (ii) जनजातीय परिषद (₹ 2.25 करोड़)।	(b) For additional Grants-in-aid to (i) Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹ 5 crore), and (ii) Tribal Council (₹ 2.25 crore).	7.25	-	7.25
(ग) सड़क एव पुल के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अंतर्गत पीआरआई को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।	(c) For additional Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (PRIs) under Roads and Bridges.	1.70	-	1.70
(घ) जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत पीआरआई को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।	(d) For additional Grants-in-aid to PRIs under Water Supply and Sanitation.	1.21	-	1.21
(ङ) अन्य ग्रामीण विकास के अंतर्गत पीआरआई को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।	(e) For additional Grants-in-aid to PRIs under Other Rural Development.	0.25	-	0.25
<b>97 चंडीगढ़</b>	<b>97 Chandigarh</b>			
भू-स्वामियों को बढे हुए भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards payment of enhanced compensation to land owners.	-	135.00	135.00
<b>100. लक्षद्वीप</b>	<b>100 Lakshadweep</b>			
(क) फसल कटाई के अंतर्गत पीआरआई को वेतन सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid Salary to PRIs under Crop Husbandry.	-	3.75	3.75
(ख) मात्स्यिकी के अन्तर्गत पीआरआई को वेतन सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid Salary to PRIs under Fisheries.	-	1.25	1.25
(ग) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के पीआरआई को वेतन सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid Salary to PRIs under Medical and Public Health.	-	2.00	2.00
(घ) सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत पीआरआई को वेतन सहायता अनुदान।	(d) For Grants-in-aid Salary to PRIs under General Education.	-	24.00	24.00
<b>शहरी विकास विभाग</b>	<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>			
<b>101. शहरी विकास विभाग</b>	<b>101 Department of Urban Development</b>			
(क) (i) शहरी परिवहन सहायता (₹ 6 करोड़), तथा (ii) जेएनएयूआरएम (₹ 4.10 करोड़), के सामान्य सहायता अनुदान व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure (i) under the scheme of Capacity Building in Urban Transport Assistance (₹ 6 crore), and (ii) towards Grants-in-aid General of JNNURM (₹ 4.10 crore).	10.10	-	10.10
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जलापूर्ति बढाने हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान रूप में व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure as Grants for creation of capital assets to augment water supply in North Eastern Areas.	1.00	-	1.00
(ग) लोकसभा में प्रमुख कार्यों के व्यय हेतु।	(c) For expenditure towards Major Works in Lok Sabha.	-	40.00	40.00
<b>102. लोक निर्माण कार्य</b>	<b>102 Public Works</b>			
(क) प्रशिक्षण की लागत पर व्यय हेतु।	(a) For expenditure towards cost of training.	-	0.10	0.10
(ख) (i) लोकसभा, (₹ 50 करोड़), (ii) उच्चतम न्यायालय (₹ 45 करोड़), के मुख्य कार्यों पर व्यय।	(b) For expenditure on Major Works of (i) Lok Sabha (₹ 50 crore), (ii) Supreme Court (₹ 45 crore).	-	95.00	95.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<b>जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WATER RESOURCES</b>			
<b>104. जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>104 Ministry of Water Resources</b>			
(क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत व्यय संबंधी स्थापना के लिए।	(a) For establishment related expenditure under the scheme of 'Capacity Building Programme'.	10.00	-	10.00
(ख) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-Aid General to National Institute of Hydrology.	-	4.45	4.45
(ग) महाराष्ट्र में बोडवार्ड सिचाई परियोजना के लिए सहायता हेतु।	(c) For Central Assistance for Bodward Irrigation Project in Maharashtra.	0.01	-	0.01
<b>महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>			
<b>105. महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>105 Ministry of Women and Child Development</b>			
राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़), और (ख) सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.31 करोड़), (iii) राष्ट्रीय जल निगम और बाल विकास संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.38 करोड़), हेतु	For (a) Grants-in-aid General to National Commission of Women (₹ 0.10 crore), and (b) (i) Grants-in-aid Salary (₹ 2.31 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.38 crore) to National Institute of Public Corporation and Child Development.	-	2.79	2.79
<b>कुल सांकेतिक</b>	<b>Total Token</b>	<b>0.63</b>	<b>0.46</b>	<b>1.09</b>
6. तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकास्मिक निधि से कुल ₹7,77,25,000 के तीन अग्रिम मंजूर किए गए थे। इन्हें अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी के उपरान्त निधि में वापस कर दिया जाएगा।	6. Three advances aggregating ₹ 7,77,25,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
<b>कुल जोड़</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,050.40</b>	<b>17,543.87</b>	<b>18,594.27</b>
<b>निवल नकद व्यय</b>	<b>Net Cash Outgo</b>	<b>600.00</b>	<b>12,526.93</b>	<b>13,126.93</b>
<b>तकनीकी पूरक</b>	<b>Technical Supplementary</b>	<b>449.77</b>	<b>5,016.48</b>	<b>5,466.25</b>
<b>सांकेतिक पूरक</b>	<b>Token Supplementary</b>	<b>0.63</b>	<b>0.46</b>	<b>1.09</b>

## विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE						
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.04	0.01	0.05	1-2
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.02	0.03	0.05	3-4
5	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	...	0.01	0.01	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS						
7	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	2000.00	...	2000.00	6
8	भेषज विभाग	स्वीकृत	8. Department of Pharmaceuticals	Voted	...	0.01	0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	30.00	30.02	8
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL						
10	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	100.00	1672.00	1772.00	9
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11	वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged Voted	0.20 54.00	... ...	0.20 54.00	10
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	भारित स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Charged Voted	0.04 0.01	... 8.00	0.04 8.01	11
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13	डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	0.12	0.67	0.79	12
14	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	...	0.02	0.02	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	...	0.01	14
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.04	0.01	0.05	15-17
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
22	रक्षा सेवा-नौ सेना	स्वीकृत	22. Defence Services - Army	Voted	0.01	...	0.01	18
25	अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	25. Defence Ordnance Factories	Voted	0.01	...	0.01	19
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	20
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION						
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	21

पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS						
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.01	...	0.01	22
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
32	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	32. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	125.00	125.01	23
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE						
33	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	33. Department of Economic Affairs	Voted	65.56	0.02	65.58	24-25
34	वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	34. Department of Financial Services	Voted	800.00	...	800.00	26
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	36. Transfers to State and Union Territory Governments	Voted	63.69	...	63.69	27
39	व्यय विभाग	स्वीकृत	39. Department of Expenditure	Voted	0.01	...	0.01	28
42	राजस्व विभाग	भारित	42. Department of Revenue	Charged	26.50	...	26.50	29
		स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
43	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	30
44	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	44. Indirect Taxes	Voted	31.03	0.01	31.04	31
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	भारित	47. Department of Health and Family Welfare	Charged	16.29	...	16.29	32-35
		स्वीकृत		Voted	0.05	0.01	0.06	
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	48. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	...	18.00	18.00	36
49	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	49. Department of Health Research	Voted	0.02	...	0.02	37
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES						
51	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	51. Department of Heavy Industry	Voted	442.54	0.03	442.57	38-39
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
53	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	53. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	40
55	पुलिस	भारित	55. Police	Charged	8.17	...	8.17	41-42
		स्वीकृत		Voted	2222.11	1.02	2223.13	
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	56. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	0.01	0.03	43-44
57	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	57. Transfers to Union Territory Governments	Voted	0.64	9.96	10.60	45
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION						
58.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.03	...	0.03	46
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
59	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	59. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	47
60	उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.04	...	0.04	48-49
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.03	1.70	1.73	50
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64	विधि और न्याय मंत्रालय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	0.04	...	0.04	51

<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>					
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	...	0.01	52
<b>खान मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF MINES</b>					
67 खान मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Mines	Voted	...	5.00	5.00	53
<b>नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY</b>					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	183.41	...	183.41	54-55
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>					
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	2.27	...	2.27	56
			Voted	8.15	...	8.15	
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>					
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	10336.00	...	10336.00	57
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF POWER</b>					
76 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Power	Voted	0.02	125.00	125.02	58
<b>राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय</b>		<b>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT</b>					
77 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद और भत्ते	आवास भारित	77. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	Charged	4.50	...	4.50	59
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>					
83 ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	83. Department of Rural Development	Voted	0.02	...	0.02	60
84 भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	84. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01	61
<b>नौवहन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF SHIPPING</b>					
88. नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Shipping	Voted	...	0.01	0.01	62
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>					
89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02	63
<b>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION</b>					
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.02	...	0.02	64
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>					
93 वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Voted	0.06	0.50	0.56	65-68
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF TOURISM</b>					
94 पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Tourism	Voted	0.02	1.00	1.02	69
<b>जनजाति कार्य मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>					
95 जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	95. Ministry of Tribal Affairs	Charged	74.35	...	74.35	70-71
			Voted	0.01	...	0.01	

संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)						
96	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	122.27	...	122.27	72-73
97	चण्डीगढ़	स्वीकृत	97. Chandigarh	Voted	...	0.01	0.01	74
100	लक्षद्वीप	स्वीकृत	100. Lakshadweep	Voted	0.04	...	0.04	75
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT						
101	शहरी विकास विभाग	भारित स्वीकृत	101. Department of Urban Development	Charged	11.87	21.70	33.57	76-77
				Voted	0.02	0.01	0.03	
102	लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted	0.01	0.01	0.02	78
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES						
104	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Water Resources	Voted	0.03	...	0.03	79
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01	80
<b>कुल जोड़</b>			<b>GRAND TOTAL</b>		<b>16574.48</b>	<b>2019.79</b>	<b>18594.27</b>	
		भारित		Charged	144.31	22.37	166.68	
		स्वीकृत		Voted	16430.17	1997.42	18427.59	
<b>अनुबंध</b>			<b>ANNEXURE</b>					81-87

## मांग संख्या DEMAND NO. 1

## कृषि और सहकारिता विभाग

## DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	21874.34	59.16	21933.50
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	425.00	...	425.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>22299.38</b>	<b>59.17</b>	<b>22358.55</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2402 - मृदा और जल संरक्षण	स्वीकृत: 2402 -Soil and Water Conservation	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted: 0.01 (डे)	...	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) जूट टेक्नोलॉजी मिशन-मिनी-मिशन-II को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.07 करोड़);
- (ii) एससीएसपी के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के कार्यान्वयन के तहत अतिरिक्त अंशदान (₹ 65 करोड़);
- (iii) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सामान्य अनुदान सहायता के लिए (₹ 50 करोड़);
- (iv) समेकित तिलहन/आयल पाम/दालों तथा मक्का विकास के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹ 50 करोड़).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) additional Grants-in-aid General (₹ 0.07 crore) to Jute Technology Mission-Mini Mission-II;
- (ii) additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) under SCSP (₹ 65 crore);
- (iii) For additional Grants-in- aid General under National Food Security Mission under Tribal Area Sub Plan (₹ 50 crore);
- (iv) additional Grants in aid-General under Integrated Oilseed/Oil palm/Pulses and Maize Development (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ख) दामोदर वैली कापोरेशन को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.45 करोड़).  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।	(b) Grants-in-aid General to Damodar Valley Corporation (₹ 0.45 crore).  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) नेशनल मिशन आन बैम्बू टेक्नालॉजी एण्ड ट्रेड डेवलपमेंट के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 14 करोड़) तथा आदिवासी उपयोजना के लिए सामान्य अतिरिक्त अनुदान सहायता (₹ 14 करोड़)  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।	(c) Grants-in-aid General (₹ 14 crore) under National Mission on Bamboo Technology and Trade Development and additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan (₹ 14 crore).  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) समेकित तिलहन/आयल पाम/दाल तथा मक्का विकास के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 24.22 करोड़).  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।	(d) Grants-in-aid General (₹ 24.22 crore) under Tribal Area Sub-Plan (TSP) under Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) नेशनल प्रोजेक्ट आन प्रमोशन आफ आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 3.80 करोड़).  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।	(e) meeting additional requirement for Major Works (₹ 3.80 crore) under National Project on promotion of organic farming.  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 4

## परमाणु ऊर्जा

## ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Voted: 6636.35	4111.29	10747.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.03	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>6637.37</b>	<b>4112.32</b>	<b>10749.69</b>
	भारित:	Charged: 1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Voted: 6636.37	4111.32	10747.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 - Atomic Energy Research	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted: 0.01 (गं)	0.01 (घद)	0.02
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (ङे)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Capital Section)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>0.03</b>	<b>0.05</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के तहत नाभिकीय पुनचक्र बोर्ड (एनआरबी), जो पूर्व में भाभा परमाणु केन्द्र था, के अंतर्गत खोले गए शीर्षों के तहत व्यय को पूरा करना (i) ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र 1, तारापुर (₹ 41.14 करोड़), (ii) ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र 2, तारापुर (₹ 50 करोड़), (iii) ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र, कालपक्कम (₹ 89.88 करोड़), (iv) खर्च ईंधन भंडारण सुविधा (₹ 3.56 करोड़), (v) अपशिष्ट संयंत्र, तारापुर (₹ 33.48 करोड़), (vi) अपशिष्ट प्रकय्यन सुविधा, तारापुर (₹ 13.50 करोड़), (vii) अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, कालपक्कम (₹ 14.19 करोड़), (viii) एडवांसड अपशिष्ट संसाधन सुविधा, तारापुर (₹ 3.56 करोड़), (ix) केंद्रीय सेवा संगठन, तारापुर (₹ 48.30 करोड़), (x) आम सेवा, कालपक्कम (₹ 13.86 करोड़) और (xi) एनआरबी, मुख्यालय और डिजाइन समूह, ट्राम्बे (₹ 4.61 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure under newly opened heads under Nuclear Recycle Board (NRB) which was earlier under Bhabha Atomic Research Centre, under (i) Fuel Reprocessing Plant 1, Tarapur (₹ 41.14 crore), (ii) Fuel Reprocessing Plant 2, Tarapur (₹ 50 crore), (iii) Fuel Reprocessing Plant, Kalpakkam (₹ 89.88 crore), (iv) Spent Fuel Storage Facility (₹ 3.56 crore), (v) Waste Immobilization Plant, Tarapur (₹ 33.48 crore), (vi) Waste Management Facility, Tarapur (₹ 13.50 crore), (vii) Waste Management Facility, Kalpakkam (₹ 14.19 crore), (viii) Advance Waste Treatment Facility, Tarapur (₹ 3.56 crore), (ix) General Services organization, Tarapur (₹ 48.30 crore), (x) Common Services, Kalpakkam (₹ 13.86 crore), and (xi) NRB HQ & Design Group, Trombay (₹ 4.61 crore).

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>
<p>(ख) कार्यनीतिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्राधिकरण को नए खोले गए शीर्ष के तहत व्यय पूरा करना (₹ 10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>(b) meeting expenditure (₹ 10 crore) under newly opened heads towards Safety Authority for Strategic Activities.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) निम्नलिखित के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत व्यय पूरा करना (i) "एनएफसी में मॉडर्नाइजेशन एण्ड आगमेंटेशन आफ जिराकॉलोजी फ्रेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल फेब्रिकेशन फेसिलिटीज" नाभिकीय ईंधन फोरलैक्स (₹ 6.60 करोड़), (ii) (1) बीएआरसी हाऊसिंग कॉलोनी में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधा व विद्यमान बिल्डिंग निर्माण के उन्नयन (₹ 1 करोड़), (2) बीएआरसी में टाइप-III सी (48 फ्लैटों की 3 बिल्डिंग) का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।</p>	<p>(c) meeting expenditure against newly opened head under (i) Nuclear Fuel Complex (NFC) "Modernisation &amp; Augmentation of Zircaloy Fabrication and Fuel Fabrication Facilities at NFC (MAZ4F)" (₹ 6.60 crore), (ii) Nuclear Recycle Board for (1) Additional infrastructure facilities &amp; upgradation of existing buildings/structures at BARC Housing Colony (₹ 1 crore), (2) Construction of Type III-C (3 buildings of 48 flats) at BARC Housing Colony (₹ 0.40 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> <p>(घ) नाभिकीय पुनचक्र बोर्ड (एनआरबी) के तहत निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु - (i) एनआरबी सुविधाएं, तारापुर (₹ 1.05 करोड़), (ii) एनआरबी सुविधाएं, कल्पक्कम (₹ 1.40 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) meeting expenditure under Nuclear Recycle Board (NRB) for (i) NRB Facilities, Tarapur (₹ 1.05 crore), (ii) NRB Facilities, Kalpakkam (₹ 1.40 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) निम्नलिखित के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत व्यय (1) बीएआरसी कैपस, विजाग में 125 मैगावाट ताप अनुसंधान रिएक्टर, संबंधी विकासात्मक गतिविधियां (₹ 0.10 करोड़), (2) बीएआरसी कैपस, विजाग में हाई फ्लक्स रिसर्च रिएक्टर संबंधी विकासात्मक गतिविधियां (₹ 0.10 करोड़), (3) अनुसंधान रिएक्टर परियोजना, ट्राम्बे हेतु अवसंरचनात्मक विकास, सुविधाएं व यूएनआई (₹ 0.10 करोड़) (4) विशेष तकनीक विकास कार्यक्रम (₹ 550 करोड़), राजा रमन्ना सेंटर फोर एडवान्स्ड टेक्नॉलॉजी को अग्रलिखित के लिए (1) सीआईएसएफ इंडक्शन के लिए हाऊसिंग व अवसंरचना (₹ 0.07 करोड़), (2) विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ट्रावेलिंग वेव इलेक्ट्रॉन लाइवेक्स के देसी डिजाइन व घटक तैयार करना (₹ 0.21 करोड़) (iii) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को नाभिकीय ईंधन चक्र अनुप्रयोग के लिए सामग्री व विनिर्माण तकनीक (₹ 0.10 करोड़), (iv) एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर को (1) आगमेंटेशन आफ इलेक्ट्रिक सिस्टम फोर हाई एंड कंप्यूटिंग सर्व (₹ 0.02 करोड़), (2) वीईसीसी लाइब्रेरी का अद्यतनीकरण (₹ 0.02 करोड़)।</p>	<p>(e) expenditure under newly opened head under (i) Bhabha Atomic Research Centre towards (1) Developmental Activities related to 125 MW Thermal Research Reactor at BARC Campus, Vizag (₹ 0.10 crore), (2) Developmental Activities related to High Flux Research Reactor at BARC Campus, Vizag (₹ 0.10 crore), (3) Infrastructural Development, Utilities &amp; CNI for Research Reactor Project, Trombay (₹ 0.10 crore), (4) Special Technology Development Programme (₹ 550 crore), (ii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology towards (1) Housing and infrastructure for CISF induction (₹ 0.07 crore), (2) Development of Indigenous Designs and Components of Travelling Wave Electron Linacs for Various Applications (₹ 0.21 crore), (iii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research towards Materials and Manufacturing technologies for Nuclear Fuel Cycle Applications (₹ 0.10 crore), (iv) Variable Energy Cyclotron Centre (VECC) towards (1) augmentation of electrical systems for high end computing Server (₹ 0.02 crore), (2) Upgradation of VECC Library (₹ 0.02 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

## मांग संख्या DEMAND NO. 5

## न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

## NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	3943.15	297.67	4240.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3943.15</b>	<b>297.68</b>	<b>4240.83</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (a) भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लि. (बीएचएवीआईएनआई) में निवेश पर अतिरिक्त व्यय (₹ 61.33 करोड़)
- (b) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एनपीसीआईएल) के संबंध में ब्याज रहित ऋण को इक्विटी (₹ 29 करोड़) में परिवर्तित करने हेतु समयपूर्व समायोजन।

बीएचएवीआईएनआई में निवेश और एनपीसीआईएल के संबंध में समय पूर्व समायोजन हेतु अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) additional expenditure (₹ 61.33 crore) towards investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited (BHAVINI).
- (b) carrying out prior period adjustment towards conversion of interest-free loan to equity (₹ 29 crore) in respect of Nuclear Power Corporaion of India Limited (NPCIL).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant for investment to BHAVINI and prior period adjustment in respect of NPCIL , a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 7

## उर्वरक विभाग

## DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	70629.72	253.48	70883.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2000.00	...	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>72629.72</b>	<b>253.48</b>	<b>72883.20</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	2000.00	2000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वदेशी उर्वरकों के अन्तर्गत अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 5500.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 2000.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional subsidy under indigenous fertilizers (₹ 5500.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 2000.00 crore.

## मांग संख्या DEMAND NO. 8

## भेषज विभाग

## DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	198.63	29.70	228.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>198.63</b>	<b>29.71</b>	<b>228.34</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के प्रयोजनार्थ ऋण के तौर पर भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत ₹ 5.00 करोड़ के अग्रिम को रिकॉपमेंट। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant is required for:

recoupment of an advance of ₹ 5.00 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 9

## नागर विमानन मंत्रालय

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	852.42	5029.80	5882.22	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	30.00	30.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>852.44</b>	<b>5059.80</b>	<b>5912.24</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 - Civil Aviation	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 30.00 (गc)	...	30.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 30.01</b>	<b>0.01</b>	<b>30.02</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 129.17 करोड़ की सहायता अनुदान जारी करना (जम्मू हवाई अड्डा (₹ 3.20 करोड़ गगन परियोजना (₹ 81.96 करोड़) और गोंडिया (₹ 44.01 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) एईआरए को प्रशासनिक व्यय हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.10 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरणों की खरीद संस्थापना (₹ 30 करोड़)। चूंकि ₹ 30 करोड़ का व्यय अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing Grants-in-aid for creation of capital assets to Airport Authority of India of ₹ 129.17 crore [Jammu Airport (₹ 3.20 crore, Gagan Project (₹ 81.96 crore) & Gondia (₹ 44.01 crore)]. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid General to AERA for administrative expenditure (₹ 1.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) procurement and installation of Radiological Detection Equipments at International Airports (₹ 30 crore). Since expenditure of ₹ 30 crore will be met from the savings available under Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 10

## कोयला मंत्रालय

## MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)					
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	497.70	50.00	547.70	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
स्वीकृत:	Voted:	100.00	1672.00	1772.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	597.70	1722.00	2319.70	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत: 2803 -Coal and Lignite	Voted: 100.00	(का) ...	100.00	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत: 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted: ...	1672.00	(खb)	1672.00
पर पूंजी परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 100.00	1672.00	1772.00	
<div>टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !</div> <div>Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.</div>					
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4803 - कोयला और लिग्नाइट	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	...	(-) 1672.00	(-) 1672.00	
पर पूंजी परिव्यय					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) विस्तृत ड्रिलिंग स्कीम के लिए अंशदान (₹ 30 करोड़), (ii) 'क्षेत्रीय अन्वेषण' स्कीम हेतु अंशदान (₹ 20 करोड़), (iii) 'कोल-फील्ड क्षेत्रों-कोयला और लिग्नाइट में परिवहन अवसंरचना का विकास' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹ 1.07 करोड़ सहित सब्सिडी (₹ 26.07 करोड़), और (iv) 'कोयला फील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास' के लिए उपकर (उत्पादन शुल्क) के संग्रह के लिए सब्सिडी (₹ 25 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त में ₹ 100 करोड़ व्यय होंगे।

- (ख) "कोयला क्षेत्रों का अर्जन" स्कीम के तहत कोयला क्षेत्रों में भू-अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय। क्षतिपूर्ति की राशि सीआईएल द्वारा अग्रिम रूप से सरकार के पास अग्रिम रूप से जमा कर दी गई है। वधित वसूलियों के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional expenditure towards (i) contributions for the scheme of 'Detailed Drilling' (₹ 30 crore), (ii) contributions for the scheme 'Regional Exploration' (₹ 20 crore), (iii) Subsidy (₹ 26.07 crore) including ₹ 1.07 crore for North Eastern Region under the scheme of 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'- Coal and Lignite, and (iv) Subsidy (₹ 25 crore) against collection of cess (Excise Duty) towards 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 100 crore;

- (b) additional expenditure towards payment of compensation for acquisition of land in Coal Bearing Areas under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas". The compensation amount is deposited by CIL with Government in advance. Taking into account the enhanced recoveries this will not entail net cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO. 11

## वाणिज्य विभाग

## DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	4383.77	1013.00	5396.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted:	54.00	...	54.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4438.47	1013.00	5451.47	
	भारित:	Charged:	0.70	...	0.70
	स्वीकृत:	Voted:	4437.77	1013.00	5450.77

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित: 2057 - Supplies and Disposals	Charged:	...	0.20 (का)	0.20
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 - Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	...	54.00 (खb)	54.00
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>54.20</b>	<b>54.20</b>	
	भारित:	Charged:	...	0.20	0.20
	स्वीकृत:	Voted:	...	54.00	54.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- |  |  |
|--|--|
| <p>(क) डीजीएस एण्ड डी के बारे में न्यायालय निर्णय के कारण व्यय (₹ 19,25,000)। यह राशि भारत की आकस्मिक निधि से आहरित की गई है। संसद द्वारा पूरक अनुदान मांगों को पारित किए जाने के बाद आहरित राशि को कोष में वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>अनुदान के स्वीकृत भाग में अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) expenditure (₹ 19,25,000) arising out of court decree in respect of DGS&amp;D. This amount has been drawn from the Contingency Fund of India and the amount drawn shall be resumed to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are passed by the Parliament.</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(ख) व्याज आर्थिक सहायता दर में 1 अगस्त 2013 से 2% से 3% की वृद्धि के कारण आर्थिक सहायता स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 275 करोड़)</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 221 करोड़), अनुदान के पूंजी अनुभाग में अभ्यर्पित बचतों (₹ 50 करोड़) को देखते हुए, 4 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p>                                    | <p>(b) additional expenditure (₹ 275 crore) under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3% w.e.f. 1st August, 2013.</p> <p>Taking into account the savings (₹ 221 crore) available within the same section of the Grant, surrender of savings (₹ 50 crore) under Capital Section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 4 crore.</p>   |

## मांग संख्या DEMAND NO. 12

## औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1413.29	303.00	1716.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	0.04	...	0.04
स्वीकृत:	Voted:	0.01	8.00	8.01
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1413.34</b>	<b>311.00</b>	<b>1724.34</b>
भारित:	Charged:	0.04	...	0.04
स्वीकृत:	Voted:	1413.30	311.00	1724.30
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: ...	0.01 (क)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	भारित: 2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	Charged: 0.04 (ख)	...	0.04
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	8.00 (ग)	8.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>0.04</b>	<b>8.01</b>	<b>8.05</b>
भारित:	Charged:	0.04	...	0.04
स्वीकृत:	Voted:	...	8.01	8.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) को ₹ 3 करोड़ का अतिरिक्त योगदान और (ख) राष्ट्रीय सीमेंट और बिल्डिंग सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) (₹ 0.50 करोड़) और पेपर, लुगदी और संबद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीपीपीआई) (₹ 0.50 करोड़) को अतिरिक्त वेतन सहायता-अनुदान। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) निवेश सब्सिडी (पुरानी) स्कीम के स्वीकृत भाग के तहत न्यायालयी आदेशों से उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण के लिए कार्यालयी बिल्डिंग के निर्माण के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के तहत बचतें उपलब्ध हैं, जिनका अभ्यर्पण किया जाना है, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting requirements towards (a) additional contribution of ₹ 3 crore to United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) and (b) additional grants-in-aid-salaries to National Council for Cement and Building Material (NCCBM) (₹ 0.50 crore) and Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries (DCPPAI) (₹ 0.50 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure arising out of Court orders under Investment Subsidy (old) Scheme. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement of funds towards construction of office building for Modernisation & Strengthening of Intellectual Property Offices. As savings are available under revenue section of grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 13

## डाक विभाग

## DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted: 16875.97	433.31	17309.28
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
	भारित:	Charged: 0.12	0.67	0.79
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>16876.29</b>	<b>433.98</b>	<b>17310.27</b>
	भारित:	Charged: 0.32	0.67	0.99
	स्वीकृत:	Voted: 16875.97	433.31	17309.28

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.12 (का)	0.12
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services	Charged: 0.67 (खब)	...	0.67
परिव्यय				
जोड़ (पूरक)	भारित: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Charged: 0.67</b>	<b>0.12</b>	<b>0.79</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न ₹ 0.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।
- (ख) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न तमिलनाडु सर्कल में भूमि और बिल्डिंग की जरूरत के लिए वर्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए (₹ 0.67 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।

The supplementary appropriations are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 0.12 crore arising out of Court Judgement. As this will be matched by savings available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement of ₹ 0.67 crore towards payment of enhanced compensation for land and building acquired in Tamil Nadu circle arising out of Court Judgement. As the expenditure will be matched by savings available under voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 14

## दूरसंचार विभाग

## DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	12192.86	2510.28	14703.14	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	...	0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>12192.86</b>	<b>2510.30</b>	<b>14703.16</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5275 - Capital Outlay on Other Communication Services	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
7275 - अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 7275 - Loans for Other Communication Services	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	...	<b>0.02</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)' में 51.12% स्टिक अर्जित करने के लिए ₹ 0.03 करोड़ की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

(ख) कंपनी के लिए मैसर्स वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) से अधिशेष भूमि एकत्र करने के प्रयोजन से कंपनी कानून मामलों, विधि, भू-राजस्व और कराधान मामलों की व्यवस्था में विशेषज्ञ परामर्श फर्म नियुक्त करने हेतु 'हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड' को ऋण देने के लिए ₹ 1 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting an additional requirement of ₹ 0.03 crore towards acquiring 51.12% stakes in 'Hemisphere Properties India Limited (HPIL)'. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting an additional requirement of ₹ 1 crore for providing loan to 'Hemisphere Properties India Limited' for appointing consulting firm having expertise in handling Company Law matters, legal, land revenue and taxation affairs for the purpose of hiving off of the surplus land from M/s VSNL (now M/s TCL) to the company. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 17

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

## DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.34	...	1.34
	स्वीकृत:	Voted:	91085.77	10641.53	101727.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	91087.12	10641.53	101728.65	
	भारित:	Charged:	1.34	...	1.34
	स्वीकृत:	Voted:	91085.78	10641.53	101727.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत: 3456 -Civil Supplies	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कार्यालयों व्यय के लिए दादरा व नगर हवेली (₹ 0.74 करोड़) और लक्षद्वीप (₹ 0.70 करोड़) में टीपीडीएस प्रचालनों का एण्ड-टू-एण्ड कंप्यूटरीकरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

(a) end-to-end Computerization of TPDS operations in Dadra & Nagar Haveli (₹ 0.74 crore) and Lakshadweep (₹ 0.70 crore) towards office Expenses. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 19

## संस्कृति मंत्रालय

## MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	2023.00	39.00	2062.00	
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	102.00	...	102.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05	
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>2125.04</b>	<b>39.01</b>	<b>2164.05</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01	
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01	
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली को, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (Rs 1.00 करोड़)
- (ii) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली को मुद्रण एवं अन्य कार्यों में लगे कर्मचारियों के वेतन को भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (Rs 1.17 करोड़)
- (iii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला-केन्द्र, नई दिल्ली को आधारभूत कोष के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (Rs 50.00 करोड़)
- (iv) कला क्षेत्र, चेन्नै को स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, विधि शुल्क आदि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (Rs 1.20 करोड़)
- (v) कला क्षेत्र, चेन्नै को जरा-जीर्ण भवनों के पुर्नरुद्धार के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.80 करोड़)

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi for enhancement of scholarship and tuition fees (Rs 1.00 crore)
- (ii) Grants-in-aid General to Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi for payment of salary to employees engaged in printing and other jobs (₹ 1.17 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi as corpus fund (₹ 50.00 crore)
- (iv) Grants-in-aid General to Kalakshetra, Chennai for payment of Stamp duty, Registration Fee, Legal fees etc (₹ 1.20 crore)
- (v) Grants for creation of Capital Assets to Kalakshetra, Chennai for renovation of old dilapidated building (₹ 0.80 crore)

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(vi) ललित कला अकादमी नई दिल्ली को शोध अनुदान योजना के पुनः क्रियान्वयन के लिये सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)	(vi) Grants-in-aid General to Lalit Kala Akademi, New Delhi for re-implementation of Research Grant scheme (₹ 0.30 crore)
(vii) ललित कला अकादमी नई दिल्ली को क्षेत्रीय केन्द्रों के पुनरुद्धार आदि के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.70 करोड़)	(vii) Grants for creation of Capital Asset to Lalit Kala Akademi, New Delhi for renovation of Regional Centres etc. (₹ 1.70 crore).
(viii) कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय न्यास को आधारभूत कोष के रूप में राष्ट्रीय संस्थाओं के रखरखाव के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़)	(viii) Grants-in-aid General to Kasturba Gandhi National Trust as Corpus Fund under Maintenance of National Memorials (₹ 5.00 crore).
(ix) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (1) थियेटर कार्यशाला आदि कार्यक्रमों के विस्तार के लिए (₹ 2.00 करोड़) और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए (₹ 0.75 करोड़)।	(ix) Grants-in-aid General to National School of Drama, New Delhi for : (1) Upgradation of extension programme of theatre workshop etc (₹ 2.00 crore) and for taking up various activities under Tribal Sub Plan (₹ 0.75 crore).
(x) नव नालन्दा महाविहार को भूमि के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.00 करोड़)	(x) Grants for creation of Capital Assets to Nava Nalanda Mahavihara for acquisition of land (₹ 7.00 crore)
(xi) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर को कार्यरत छात्रों आदि को भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.15 करोड़)	(xi) Grants-in-aid Salaries to Rampur Raza Library, Rampur for payment to working scholars etc. (₹ 0.15 crore)
(xii) संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.64 करोड़)	(xii) Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi, New Delhi under Tribal Sub-plan (₹ 0.64 crore)
(xiii) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली को प्रकाशन, साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार आदि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)	(xiii) Grants-in-aid General to Sahitya Akademi, New Delhi for publication, Sahitya Purskar and Yuva Purskar etc. (₹ 2.00 crore).
(xiv) आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के जनजातीय कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए जेएण्डके फेस्टिवल का आयोजन करने/को सम्पन्न कराने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.11 करोड़)	(xiv) Grants-in-aid General to Zonal Cultural Centres under Tribal Sub Plan for organizing/ conducting J & K festival to provide opportunity to the tribal artists of J & K (₹ 2.11 crore).
(xv) कला एवं संस्कृति पर टीवी प्रोग्रामिंग को वित्तीय सहायता देने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.90 करोड़)	(xv) Grants-in-aid General for Financial assistance to TV Programming on Art and Culture (₹ 4.90 crore)
(xvi) मद्रास विश्वविद्यालय की एनसीसी परियोजनाओं के लिए और राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)	(xvi) Grants-in-aid General for NCC Project of Madras University and for creating digital library at National Mission for Manuscripts (₹ 2.00 crore)
(xvii) साइन्स सिटीज के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़)	(xvii) Grants for creation of Capital Assets for Science Cities (₹ 10.00 crore)
(xviii) स्वामी विवेकानन्द की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शतवर्षीय उत्सव और वर्ष गांठ के तहत पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 6.00 करोड़).	(xviii) Grants for creation of capital assets for Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda under Centenaries & Anniversaries Celebrations (₹ 6.00 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान वेतन: (1) इलाहाबाद संग्रहालय (₹ 0.81 करोड़), (2) सेंट्रल युनिवर्सिटी आफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी (₹ 5.40 करोड़), (3) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली (₹ 0.54 करोड़), (4) गाँधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति, नई दिल्ली (₹ 0.86 करोड़), (5) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी (₹ 0.49 करोड़), (6) कलाक्षेत्र, चेन्नई (₹ 0.52 करोड़), (7) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली (₹ 0.15 करोड़), (8) राष्ट्रीय नाट्य विधालय, नई दिल्ली (₹ 2.01 करोड़), (9) नव नालन्दा महाविहार (₹ 0.40 करोड़), (10) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली (₹ 1.33 करोड़), (11) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद (₹ 4.92 करोड़) और (12) साहित्य अकादमी (₹ 1.00 करोड़)	(b) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement of the following Institutions/ Organisations : (1) Allahabad Museum (₹ 0.81 crore), (2) Central University of Tibetan Studies, Varanasi (₹ 5.40 crore), (3) Delhi Public Library, New Delhi (₹ 0.54 crore), (4) Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi (₹ 0.86 crore), (5) Khuda Baksh Oriental Public Library (₹ 0.49 crore), (6) Kalakshetra, Chennai (₹ 0.52 crore), (7) Lalit Kala Akademi, New Delhi (₹ 0.15 crore), (8) National School of Drama, New Delhi (₹ 2.01 crore), (9) Nav Nalanda Mahavihara (₹ 0.40 crore), (10) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 1.33 crore), (11) Salarjung Museum, Hyderabad (₹ 4.92 crore) and (12) Sahitya Akademi (₹ 1.00 crore)

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	निम्नलिखित संगठनों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान: (1) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 8.00 करोड़), (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (₹ 0.97 करोड़), (3) राष्ट्रीय नाट्य विधालय नई दिल्ली, (₹ 5.00 करोड़), (4) नामग्याल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ तिब्बेते लाजी, गंगटोक (₹ 0.20 करोड़), (5) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कोलकाता (₹ 2.00 करोड़) (6) मौलाना आबुल कलाम आजाद इन्स्टीट्यूट आफ एशियन स्टडीज (₹ 0.50 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।	(c)	Grants-in-aid General to the following organisations for meeting the additional requirement : (1) Sangeet Natak Akademi, New Delhi (₹ 8.00 crore), (2) Sahitya Akademi, New Delhi (₹ 0.97 crore), (3) National School of Drama, New Delhi (₹ 5.00 crore), (4) Namgyal Research Institute of Tibetology, Gangtok (₹ 0.20 crore), (5) Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata (₹ 2.00 crore)and (6) Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (₹ 0.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) स्वामी विवेकानन्द की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु 'सेन्टेनरीज एण्ड एनीवर्सरीज सेलेब्रेशन' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)  (ii) टैगोर कल्चरल काम्प्लेक्स के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।	(d)	(i) Grants-in-aid General under the scheme 'Centenaries and Anniversaries Celebration' for meeting the additional requirement to commemorate 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹ 2.00 crore)  (ii) Grants for creation of Capital Assets for Tagore Cultural Complexes (₹ 10.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	निम्नलिखित बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बड़े निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता: (1) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 1.00 करोड़),(2) नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फार कन्जर्वेशन आफ कल्चरल प्रापर्टी (₹ 1.00 करोड़) और नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट्स (₹ 1.00 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।	(e)	Additional requirement under Major Works for building projects of : (1) National Museum (₹ 1.00 crore), (2) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1.00 crore)and (3) National Gallery of Modern Arts (₹ 1.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 22

## रक्षा सेवा - थल सेना

## DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	46.93	... 46.93
	स्वीकृत:	Voted:	83888.33	... 83888.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	... 0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		83935.27	... 83935.27
	भारित:	Charged:	46.93	... 46.93
	स्वीकृत:	Voted:	83888.34	... 83888.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत:	2076 -Defence Services - Army	Voted:	... 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलाइड स्पोर्ट्स एण्ड अदर इंस्टीट्यूट्स को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 33 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid to National Institute of Mountaineering and Allied Sports and other institutes (₹ 33 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 25

## रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

## DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	5.20	...	5.20
	स्वीकृत:	Voted:	1709.27	...	1709.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1714.48	...	1714.48	
	भारित:	Charged:	5.20	...	5.20
	स्वीकृत:	Voted:	1709.28	...	1709.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्कूलों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 0.15 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid to Schools (₹ 0.15 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 27

## रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

## CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged:	...	55.42
	स्वीकृत:	Voted:	...	86685.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	86740.72	86740.72
	भारित:	Charged:	...	55.42
	स्वीकृत:	Voted:	...	86685.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के संबंध में व्यय पूरा करना (i) सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹ 359 करोड़), (ii) मशीनरी और उपकरण की खरीद (₹ 150 करोड़), अनुसंधान और विकास हेतु निर्माण पूरा करना (₹ 50 करोड़), (iii) आयुध निर्माणी कारखानों के लिए मशीनरी व उपकरणों की खरीद (₹ 120 करोड़) और (iv) रोलिंग स्टॉक और मेक खरीद (₹ 0.01 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on (i) acquisition of land for army (₹ 359 crore), (ii) procurement of machinery and equipment (₹ 150 crore), meeting expenditure on works (₹ 50 crore) for research and development, (iii) procurement of machinery and equipment (₹ 120 crore) for Ordnance factories and (iv) Rolling Stock and Make Procedure (₹ 0.01 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 28

## पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1847.97	353.00	2200.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1847.98</b>	<b>353.01</b>	<b>2200.99</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	...	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) नार्थ ईस्टर्न हैंडिक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनईएचएचडीसी) की पुनरुद्धार योजना में 20 कर्मचारियों के लिए वीआरएस हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) नार्थ ईस्टर्न हैंडिक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनईएचएचडीसी) की कार्यशील पूंजी में विस्तार के लिए इक्विटी के रूप में निवेश (₹ 4.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid General for implementing VRS for 20 employees in the revival plan of North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. (NEHHDC) (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) investment as equity to augment working capital of North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. (NEHHDC) (₹ 4.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 31

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	2815.63	69.07	2884.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>2815.64</b>	<b>69.07</b>	<b>2884.71</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) प्रदूषण निदान हेतु सहायता (₹ 1 करोड़) तथा (ii) डिजर्टीफिकेशन सेल (₹ 1.50 करोड़) के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सामान्य अनुदान सहायता। । अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General towards Externally Aided Projects under the schemes of (a) Assistance for Abatement of Pollution (₹ 1 crore) and (b) Desertification Cell (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 32

## विदेश मंत्रालय

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	9950.47	1768.50	11718.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	125.00	125.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9950.51	1893.50	11844.01	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	9950.48	1893.50	11843.98
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत: 7605 - Advances to Foreign Governments	Voted:	...	125.00 (खब)	125.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	125.01	125.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार की सहायता के रूप में भूटान की शाही सरकार को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 661 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) मालदीव सरकार को स्थायी ऋण सुविधा प्रदान करना (₹155 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 30 करोड़ की बचतों के मद्देनजर ₹125 करोड़ की शेष धनराशि हेतु तकनीकी पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing aid to Royal Government of Bhutan as Government of India support for Bhutan's 11th Five Year Plan (₹ 661 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Standby Credit Facility to Government of Maldives (₹ 155 crore). After taking into account the savings of ₹ 30 crore in the same Section of the Grant, technical supplementary for the balance amount of ₹ 125 crore is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 33

## आर्थिक कार्य विभाग

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिये )

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	8865.12	66408.89	75274.01	
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	1000.00	3022.80	4022.80	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	65.56	0.02	65.58	
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>9930.68</b>	<b>69431.71</b>	<b>79362.39</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	10.67 (का)	10.67	
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	7.00 (खब)	7.00	
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	1.05 (गक)	1.05	
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: ...	40.20 (घद)	40.20	
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	6.64 (डे)	6.64	
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>65.56</b>	<b>65.56</b>	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4046 - मुद्रा सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4046 - Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	Voted: ...	0.01 (चफ)	0.01	
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (छग)	0.01	
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Capital Section)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पारिश्रमिक, मेडिकल चिकित्सा, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय और पेशेवर सेवाओं के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 25.76 करोड़)। पूंजी भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 10.67 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के तहत विनिमय दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 7.00 करोड़)। पूंजी

The supplementary grants are required for:

(a) additional requirement (₹ 25.76 crore) on account of Wages, Medical Treatment, Publications, Other Administrative Expenses and Professional Services. Taking into account the surrender of savings (₹ 10.67 crore) under the Capital section and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) additional requirement (₹ 7.00 crore) on account of exchange rate variation/fluctuation under International Fund for Agricultural

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

	भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 7.00 करोड़), उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।
(ग)	अफ्रीकी विकास निधि (एफडीएफ) की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.28 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 1.05 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के भीतर उपलब्ध बचतों (₹ 0.23 करोड़) के उपयोग करने के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।
(घ)	₹ 12.5 करोड़ के आवसंरचना ऋण का राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) को सामान्य सहायता अनुदान में अंतरण, तकनीकी सहयोग हेतु कॉमन वेल्थ निधि (सीएफटीसी) के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.80 करोड़), वित्तीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) नेटवर्क हेतु (₹ 0.36 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.99 करोड़), नव सृजित एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि (जीएफटीएम) के लिए (₹ 18.60 करोड़) और टीकाकरण व इम्यूनाइजेशन हेतु वैश्विक एलायंस (जीएवीआई) के लिए (₹ 6.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 0.25 करोड़) के उपयोग के उपरांत और पूंजी भाग के तहत बचतों (₹ 40.20 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
(ङ)	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और वैश्विक पर्यावरण को अंशदान हेतु विनिमय दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 6.64 करोड़), पूंजी भाग के तहत बराबर राशि की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
(च)	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एन्ड मिनटिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड। (एसजीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 355.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्राथित है।
(छ)	विनिमय दर में परिवर्तन/उतार चढ़ाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के अंशदान हेतु (₹ 27.95 करोड़) और प्रतिभूतियों में (₹ 84.31 करोड़), एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को चयनित पूंजीगत बढ़ोतरी के लिए अंशदान पर नकद में के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 44.75 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
	Development(IFAD). Taking into account the surrender of savings (₹ 7.00 crore) under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(c)	additional requirement (₹ 1.28 crore) towards Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund (AfDF). After taking into account the surrender of savings (₹ 1.05 crore) under the Capital section of the Grant and after utilizing the savings(₹ 0.23 crore) available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(d)	Conversion of Infrastructure Loan of ₹ 12.50 crore into Grants-in-Aid General to National Council for Applied Economic Research (NCAER), additional requirement of funds (₹ 0.80 crore) for Common Wealth Fund for Technical Co-operation(CFTC), for Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Network on Fiscal Relations(₹ 0.36 crore), for Grants-In-Aid-General and for creation of Capital Assets(₹ 1.99 crore), for newly created Global Funds for AIDS,TB and Malaria(GFATM) (₹ 18.60 crore) and for Global Alliance for Vaccination and Immunisation(GAVI)(₹ 6.20 crore). After utilizing the savings (₹ 0.25 crore)available within the same section of the Grant and after taking into account the surrender of savings (₹ 40.20 crore) under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(e)	additional requirement (₹ 6.64 crore) on account of exchange rate variation/fluctuation, for Contribution to United Nations Development Programmes(UNDP) and Global Environment. Taking into account the surrender of savings of equivalent amount under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(f)	additional expenditure (₹ 355.00 crore) towards Purchase of Coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL). As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
(g)	additional requirement of funds is on account of exchange rate variation/fluctuation. (₹ 27.95 crore) for Subscription to International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) and (₹ 84.31 crore) in Securities;(₹ 44.75 crore) in cash on Subscription to Asian Development Bank, African Development Fund, African Development Bank and International Finance Corporation towards Selective Capital Increase. As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 34

## वित्तीय सेवा विभाग

## DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	7468.99	29900.40	37369.39
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	600.00	1000.00	1600.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	800.00	...	800.00
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>8868.99</b>	<b>30900.40</b>	<b>39769.39</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: ...	300.00 (का)	300.00
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 -General Financial and Trading Institutions	Voted: 500.00 (खब)	...	500.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 500.00</b>	<b>300.00</b>	<b>800.00</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रतिबलित आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को निर्गमित निधि की क्षतिपूर्ति का (₹ 300 करोड़) का व्यय पूरा करना। एसएसएफ से बराबर प्राप्ति पर विचार करने के उपरांत, इसमें कोई नकद नहीं देना होगा।

(ख) (i) राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने हेतु (₹ 500 करोड़) की निधि प्रदान करना; और

(ii) संसद द्वारा पारित फैक्ट्रिंग अधिनियम, 2011 के अनुरूप क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को (₹ 500 करोड़) की निधि प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध Rs. 500 करोड़ की बचत के मद्देनजर, इसमें Rs. 500 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure of ₹ 300 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF). After taking into account the matching receipts from SASF, this will not entail cash outgo.

(b) (i) providing a corpus of ₹ 500 crore to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) to set up a Credit Guarantee Fund for skill development; and

(ii) providing a corpus of ₹ 500 crore to Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) in order to set up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011 passed by the Parliament.

Taking into account the savings of ₹ 500 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash out go of ₹ 500 crore.

## मांग संख्या DEMAND NO. 36

## राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण

## TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
भारित:	Charged:	62134.40	12000.00	74134.40
स्वीकृत:	Voted:	101882.00	...	101882.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	63.69	...	63.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	164080.09	12000.00	176080.09
भारित:	Charged:	62134.40	12000.00	74134.40
स्वीकृत:	Voted:	101945.69	...	101945.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted: ...	63.69	63.69
<p><b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !</p> <p><b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.</p>				
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	2075 - Miscellaneous General Services	...	(-) 63.69	(-) 63.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण को रद्द करने का अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु (₹ 63.69 करोड़)। इसमें नकद नहीं देना होगा चूंकि व्यय प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

The supplementary grant is required for:

making additional provision to write off of loans to State Governments in terms of recommendations made by 13th Finance Commission (₹ 63.69 crore). There will be no cash outgo as expenditure will be met by receipts.

## मांग संख्या DEMAND NO. 39

## व्यय विभाग

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	140.12	...	140.12	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>140.13</b>	...	<b>140.13</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सातवे केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

setting up of Seventh Central Pay Commission (₹ 3.50 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 42

## राजस्व विभाग

## DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	10117.17	100.71	10217.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	26.50	...	26.50
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10143.70	100.71	10244.41	
	भारित:	Charged:	26.52	...	26.52
	स्वीकृत:	Voted:	10117.18	100.71	10217.89

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना		आयोजना-		जोड़
		Plan		भिन्न		Total
				Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2875 - अन्य उद्योग	भारित:	2875 - Other Industries	Charged:	...	26.50 (खब)	26.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		...	26.51	26.51
	भारित:		Charged:	...	26.50	26.50
	स्वीकृत:		Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(क) (i) कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम (₹ 2.58 करोड़) की रिकूपिंग।</p> <p>(ii) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान (₹ 0.22 करोड़) प्रदान करना।</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> <p>(ख) माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 8.01.2013 के निर्णय के अनुसार व्यापार कर विभाग, उ.प्र. को ₹ 26.50 करोड़ के खरीदारी कर व उस पर ब्याज का भुगतान। चूंकि बचत के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> | <p>(a) (i) recouping an advance of ₹ 2.58 crore taken from the Contingency Fund of India for meeting expenditure of the Tax Administration Reform Commission (TARC).</p> <p>(ii) providing contribution of ₹ 0.22 crore to various International Organisations.</p> <p>As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) Payment of Purchase Tax &amp; Interest thereon of ₹ 26.50 crore to the Trade Tax Department, Uttar Pradesh (UP) as per the Honourable High Court Order dated 8.01.2013. As savings are available within the same section of Grant under Voted, this will not entail any additional cash out go.</p> |
|--|---|

## मांग संख्या DEMAND NO. 43

## प्रत्यक्ष कर

## DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	3771.91	589.98	4361.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3771.91</b>	<b>589.99</b>	<b>4361.90</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोची में नए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु भूमि की खरीद तथा मैसूर में आवासीय क्वार्टर तथा गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु भी भूमि की खरीद के लिए (₹ 16.10 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

purchase of land for construction of new office complex at Kochi and also purchase of land for construction of residential quarters and Guest House at Mysore for Income Tax Offices (₹ 16.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 44

## अप्रत्यक्ष कर

## INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	3829.75	149.25	3979.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	31.03	0.01	31.04
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3861.28</b>	<b>149.26</b>	<b>4010.54</b>	
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	3860.78	149.26	4010.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 -Customs	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत: 2038 -Union Excise Duties	Voted:	...	31.02 (खb)	31.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted:</b>	<b>...</b>	<b>31.03</b>	<b>31.03</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted:</b>	<b>...</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |  |  |
|--|--|
| <p>(क) 'रिवार्ड्स' के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 8.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> <p>(ख) 'रिवार्ड्स' (₹ 7.00 करोड़) और विज्ञापन व प्रचार (₹ 34.42 करोड़) का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 31.02 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, इसमें नकद नहीं देना होगा।</p> <p>(ग) ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना अर्थात् (i) महाराष्ट्र हाऊसिंग और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए), बिल्डिंग पोवाई, मुंबई में 256 फ्लैटों की एक बार मरम्मत संस्थापना (₹ 1.16 करोड़), और (ii) हैदराबाद में 287 निर्मित फ्लैटों की खरीदारी के लिए अंतिम किस्त के भुगतान हेतु (₹ 0.70 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure towards 'Rewards' (₹ 8.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting additional expenditure towards 'Rewards' (₹ 7.00 crore) and Advertising &amp; Publicity (₹ 34.42 crore). After taking into account the savings available within the same section of the Grant and surrendering of savings of ₹ 31.02 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.</p> <p>(c) meeting additional expenditure of ₹ 1.86 crore i.e. (i) one time repair installation of 256 flats at Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) Building at Powai, Mumbai (₹ 1.16 crore) and (ii) for payment of final instalment for purchase of 287 ready build flats in Hyderabad (₹ 0.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

## मांग संख्या DEMAND NO. 47

## स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	33012.27	2862.67	35874.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	16.29	...	16.29
स्वीकृत:	Voted:	0.05	0.01	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	33028.61	2862.68	35891.29
भारित:	Charged:	16.29	...	16.29
स्वीकृत:	Voted:	33012.32	2862.68	35875.00
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	भारित: 2210 - Medical and Public Health	Charged: ...	16.29 (का)	16.29
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	0.01 (गc)	0.02
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.03	16.31	16.34
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01 (छg)	...	0.01
पर पूंजी परिव्यय				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.04	16.31	16.35
	भारित:	Charged: ...	16.29	16.29
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	0.02	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित को भुगतान हेतु: (i) राष्ट्रीय कुष्ठरोग शिक्षा कार्यक्रम के लिए मैसर्स इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल लि. अहमदाबाद (16.08. करोड़ रु.) और (ii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में विवाचन निर्णय के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली हेतु मैसर्स इनोक्स एयर प्रोडक्ट लि. (0.21 करोड़ रु.)
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के स्वीकृत खंड में बचत उपलब्ध है, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) निम्नलिखित को सामान्य रूप से सहायता अनुदान के लिए: (i) निगरानी समिति के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग (12.58 करोड़ रु.), (ii) वल्लभ भई पटेल संस्थान, दिल्ली (1.49 करोड़ रु.), (iii) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (0.63

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Making payment to: (i) M/s International Pharmaceutical Ltd., Ahmedabad for National Leprosy Eradication Programme (₹ 16.08 crore) and (ii) M/s Inox Air Products Ltd for Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 0.21 crore) towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi.

Taking into account savings are available in the Voted Section of the Grant, there will be no Cash outgo.

- (b) (i) Grants-in-aid General to: (i) Institutions of Higher Learning as per Oversight Committee (₹ 12.58 crore), (ii) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 1.49 crore), (iii) All India Institute of Speech and Hearing, Mysore (₹ 0.63

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

- करोड़ रु.), (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमआर, पुदुचेरी (6.60 करोड़ रु.), (v) कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा (4.86 करोड़ रु.), (vi) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (30.00 करोड़ रु.), (vii) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (4.00 करोड़ रु.), राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (30.81 करोड़ रु.) (20.02 करोड़ रु. सामान्य क्षेत्र के लिए, 7.01 करोड़ रु. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक तथा 3.78 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु), (ix) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा (2.70 करोड़ रु.), (x) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (0.10 करोड़ रु.), (xi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (225.86 करोड़ रु.) (147.35 करोड़ रु. सामान्य क्षेत्र के लिए, 49.05 करोड़ रु. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 29.46 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु), (xii) राष्ट्रीय ड्रग नशा-मुक्ति कार्यक्रम (7.99 करोड़ रु.), (xiii) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (203.00 करोड़ रु.), (xiv) राष्ट्रीय कुष्ठरोग शिक्षा कार्यक्रम (15.68 करोड़ रु.) (8.78 करोड़ रु. सामान्य क्षेत्र के लिए, 4.49 करोड़ रु. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 2.41 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु), (xv) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (11.00 करोड़ रु.), (xvi) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (62.17 करोड़ रु.) (33.06 करोड़ रु. सामान्य क्षेत्र के लिए, 18.91 करोड़ रु. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 10.20 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु) और (vii) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (6.65 करोड़ रु.)
- (ii) निम्नलिखित की पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान: (i) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (17.99 करोड़ रु.), (ii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमआईआर, पुदुचेरी (54.00 करोड़ रु.), (iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (259.99 करोड़ रु.), (iv) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन - जिला अस्पताल - राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन (स्नातकोत्तर सीटें) - (152.97 करोड़ रु.) (99.99 करोड़ रु. सामान्य क्षेत्र के लिए, 34.99 करोड़ रु. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 17.99 करोड़ रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु), (v) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (11.00 करोड़ रु.), और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली (0.58 करोड़ रु.) तथा राष्ट्रीय ड्रग नशा-मुक्ति कार्यक्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (एनआईएमएचएनएस), बंगलुरु (3.55 करोड़ रु.)।
- (iii) वेतनार्थ सहायता अनुदान: (i) निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 44.85 करोड़), (ii) वल्लभ भाई पटेल छाती-रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.25 करोड़), (iii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 20.00 करोड़) और (iv) लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबद्ध रोग, नई दिल्ली (₹ 1.55 करोड़)।
- crore), (iv) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 6.60 crore), (v) Kasturba Health Society, Wardha (₹ 4.86 crore), (vi) Establishment of AIIMS type Super- Specialty Hospital-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospital (₹ 30.00 crore), (vii) Food Safety and Standard Authority of India (₹ 4.00 crore), (viii) Strengthening of State Food Regulatory System (₹ 30.81 crore) (₹ 20.02 crore for General Area, ₹ 7.01 crore for Special Component for Scheduled Castes and ₹ 3.78 crore for Tribal Area Sub Plan), (ix) National Institute of Biologicals, Noida (₹ 2.70 crore), (x) Central Bureau of Health Intelligence (₹ 0.10 crore), (xi) National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 225.86 crore) (₹ 147.35 crore for General Area, ₹ 49.05 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 29.46 crore for Tribal Area Sub Plan), (xii) National Drug De-addiction Programme (₹ 7.99 crore), (xiii) National T.B. Control Programme (₹ 203.00 crore), (xiv) National Leprosy Eradication Programme (₹ 15.68 crore) (₹ 8.78 crore for General Area, ₹ 4.49 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 2.41 crore for Tribal Area Sub Plan), (xv) Integrated Disease Surveillance Project (₹ 11.00 crore), (xvi) National Blindness Control Programme (₹ 62.17 crore) (₹ 33.06 crore for General Area, ₹ 18.91 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 10.20 crore for Tribal Area Sub Plan) and (xvii) National Tobacco Control Programme (₹ 6.65 crore )
- (ii) Grants for creation of capital assets to: (i) All India Institute of Speech and Hearing , Mysore (₹ 17.99 crore), (ii) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 54.00 crore), (iii) Establishment of AIIMS type Super-Specialty Hospital-cum Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospital (₹ 259.99 crore), (iv) Human Resources for Health - District Hospital - Upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats)- (₹ 152.97 crore ) (₹ 99.99 crore for General Area, ₹ 34.99 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 17.99 crore for Tribal Area Sub Plan), (v) Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 11.00 crore ) and (vi) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi (₹ 0.58 crore) and National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangaluru (₹ 3.55 crore) under National Drug De-addiction Programme.
- (iii) Grants-in-aid Salaries to: (i) Institutions of Higher Learning as per Oversight Committee (₹ 44.85 crore), (ii) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.25 crore), (iii) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 20.00 crore) and (iv) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.55 crore).

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(iv) खाद्य-मिलावट संबंधी प्रशासन और रोक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्टाफ के स्थानांतरण संबंधी पदस्थापन प्रभारों को पूरा करने के लिए (₹ 1.86 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(iv) Administration and Prevention of Food Adulteration - For meeting establishment charges of the staff transferred from Food Safety and Standard Authority of India to Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad (₹ 1.86 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (i) सामान्य सहायता अनुदान: (i) वल्लभ भई पटेल छाती-रोग संस्थान, दिल्ली (0.30 करोड़ ₹.), (ii) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 0.85 करोड़), (iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 15.00 करोड़) (iv) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹ 5.66 करोड़), (v) अखिल भारतीय वाणी और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 0.68 करोड़), (vi) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 8.60 करोड़), (vii) लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबंध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) और (viii) नई दिल्ली टी.बी. केन्द्र (₹ 0.32 करोड़)।</p> <p>(ii) वेतनार्थ सहायता अनुदान : (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 65.00 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹ 4.38 करोड़) (iii) स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंदीगढ़ (₹ 62.00 करोड़), (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर क्षेत्र, जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 0.05 करोड़), (vi) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (₹ 0.05 करोड़), (vi) लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबंध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.75 करोड़) और नई दिल्ली टी.बी. केन्द्र (₹ 0.54 करोड़)।</p>	<p>(c) (i) Grants-in-aid General to : (i) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.30 crore), (ii) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 0.85 crore), (iii) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 15.00 crore) (iv) National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bengaluru (₹ 5.66 crore), (v) All India Institute of Speech and Hearing, Mysore (₹ 0.68 crore), (vi) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 8.60 crore), (vii) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.08 crore) and (viii) New Delhi T.B. Centre (₹ 0.32 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid Salaries to : (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 65.00 crore) (ii) National Institute of Mental Health and Neuro Science, Bengaluru (₹ 4.38 crore), (iii) Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh (₹ 62.00 crore), (iv) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 5.00 crore), (v) National Academy of Medical Sciences (₹ 0.05 crore), (vi) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.75 crore) and New Delhi T.B. Centre (₹ 0.54 crore).</p>
<p>(iii) खाद्य-मिलावट संबंधी प्रशासन और रोक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्टाफ के स्थानांतरण संबंधी पदस्थापन प्रभारों को पूरा करने के लिए (₹ 2.61 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(iii) Administration and Prevention of Food Adulteration - For meeting establishment charges of the staff transferred from Food Safety and Standard Authority of India to Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad (₹ 2.61 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) सामान्य सहायता अनुदान: (i) राज्य/जिला परिवार कल्याण (एफडब्ल्यू) ब्यूरोक्स का अनुसरण (₹ 1.48 करोड़) (ii) उप-केन्द्र (₹ 2.50 करोड़), (iii) ओग्लिलियरी नर्स मिडवाइफ/लेडी हेल्थ विजिटर प्रशिक्षण (एनएम/एलएचवी) (₹ 0.24 करोड़), (iv) गांधी ग्राम संस्थान (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र) (₹ 0.15 करोड़), (v) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 3.60 करोड़), (vi) आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल-जीसी (₹ 440.55 करोड़) (₹ 284.97 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए योजना के विशेष घटक हेतु ₹ 101.00 करोड़ और जनजीवन क्षेत्र उप योजना के लिए ₹ 54.58 करोड़), (vii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (₹ 1799.11 करोड़) (₹ 1181.02 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए योजना के विशेष घटक हेतु ₹ 400.20 करोड़ और जनजातीय क्षेत्र उप योजना हेतु ₹ 217.89 करोड़ और (viii) सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एफपी कार्यक्रम में एनजीओ की सहभागिता (₹ 0.30 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(d) Grants-in-aid General to : (i) Maintenance of State/District FW Bureaux (₹ 1.48 crore), (ii) Sub-Centres (₹ 2.50 crore), (iii) Training of Auxiliary Nurse Midwife/Lady Health Visitor (ANM/LHVs) (₹ 0.24 crore), (iv) Gandhigram Institute (Health and Family Welfare Training Centres) (₹ 0.15 crore), (v) Population Research Centre (₹ 3.60 crore), (vi) RCH Flexible Pool -GC (₹ 440.55 crore) (₹ 284.97 crore for General Area, ₹ 101.00 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 54.58 crore for Tribal Area Sub Plan), (vii) National Urban Health Mission (₹ 1799.11 crore) (₹ 1181.02 crore for General Area, ₹ 400.20 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 217.89 crore for Tribal Area Sub Plan) and (viii) Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership - (PPP) (₹ 0.30 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

(ड) सामान्य सहायता अनुदान-राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-जल, बिजली के बढ़े हुए प्रशुल्कों और उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि इत्यादि के कारण अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।	(e) Grants-in-aid General to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi - For meeting additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity and hike in prices of consumables, reagents etc (₹ 0.50 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) (i) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान: (i) राज्य खाद्य नियामक प्रणाली (₹ 3.87 करोड़), (ii) आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल-जीसी (₹ 59.45 करोड़), (iii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 199.89 करोड़), (iv) राष्ट्रीय वाहक वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 24.05 करोड़), (v) राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.43 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.18 करोड़)।	(f) (i) Grants-in-aid General to : (i) State Food Regulatory System (₹ 3.87 crore), (ii) RCH Flexible Pool -GC (₹ 59.45 crore), (iii) National Urban Health Mission (₹ 199.89 crore), (iv) National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 24.05 crore), (v) National Blindness Control Programme (₹ 10.43 crore) and (vi) National Tobacco Control Programme (₹ 0.18 crore).
(ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियां सृजित करने हेतु अनुदान: (i) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 59.00 करोड़), (ii) लोकप्रिया गोपीनाथ बार्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर (₹ 55.50 करोड़), (iii) क्षेत्रीय अर्धचिकित्सीय तथा नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल (₹ 23.00 करोड़), (iv) मानक स्वास्थ्य संसाधन-जिला अस्पताल-राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन (परास्नातक सीट) (₹ 18.99 करोड़), (v) नए चिकित्सीय महाविद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) (₹ 45.63 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को अग्रिम संबंधन प्रदान करना (₹ 180.00 करोड़)।	(ii) Grants for creation of capital assets to : (i) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 59.00 crore), (ii) Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur (₹ 55.50 crore), (iii) Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (₹ 23.00 crore), (iv) Human Resources for Health - District Hospitals - Upgradation of State Government Medical Colleges (PG seats) (₹ 18.99 crore), (v) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 45.63 crore) and (vi) Forward Linkages to NRHM (₹ 180.00 crore).
(iii) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग को वेतन अनुदान सहायता (₹ 2.00 करोड़)।	(iii) Grants-in-aid Salaries to North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 2.00 crore).
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ) निम्नलिखित हेतु पूरक अनुदान की आवश्यकता है: (i) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत डिस्पेंसरियों अस्पतालों की स्थापना (₹ 5.00 करोड़)-बड़े निर्माण कार्यों हेतु व्यय को पूरा करने के लिए, (ii) केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान (₹ 2.00 करोड़)-यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (iii) ओवरसाइट कमिटी के अनुसार उच्चशिक्षा संस्थान (₹ 85.92 करोड़)- यंत्रों और उपकरणों पर (₹ 49.98 करोड़) और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 35.94 करोड़) होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, (iv) तंबाकू नियंत्रण (₹ 1.00 करोड़) - यंत्रों और उपकरणों पर व्यय को पूरा करने के लिए, (v) क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, आस्का (₹ 10.79 करोड़) करने - बड़े निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए, (vi) क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, रायपुर (₹ 1.57 करोड़) - बड़े निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए, (vii) बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गुडन्डी (₹ 38.17 करोड़) - यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर (₹ 23.00 करोड़) और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 15.17 करोड़) होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, (viii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (₹ 0.11 करोड़) - मोटर वाहन की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, (ix) राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (₹ 5.27 करोड़) - यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर (₹ 4.80 करोड़) और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 0.47 करोड़) होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए तथा (x) आपात चिकित्सीय राहत (पक्षीफ्ल्यू) (₹ 1.65 करोड़) - अतिरिक्त कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनरेटर (ईसीएमओ) मशीन पर होने वाली लागत को पूरा करने के लिए।	(g) The Supplementary Demands is required for: (i) Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 5.00 crore)- for meeting expenditure on major works, (ii) Central Institute of Psychiatry (₹ 2.00 crore)- for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments, (iii) Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 85.92 crore) - for meeting additional expenditure on machinery and equipments (₹ 49.98 crore) and major works (₹ 35.94 crore), (iv) Tobacco Control (₹ 1.00 crore) - for meeting expenditure on machinery and equipments, (v) Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (₹ 10.79 crore) - for meeting expenditure on major works, (vi) Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 1.57 crore) - for meeting expenditure on major works, (vii) BCG Vaccine Laboratory, Guindy (₹ 38.17 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments (₹ 23.00 crore) and major works (₹ 15.17 crore), (viii) Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.11 crore) - for meeting expenditure on procurement of motor vehicles, (ix) National Organ Transplant Programme (₹ 5.27 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments (₹ 4.80 crore) and major works (₹ 0.47 crore) and (x) Emergency Medical Relief (Avian Flu) (₹ 1.65 crore) - to meet cost of Extra Corporeal Membrane Oxygenator (ECMO) machine.
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 48

## आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

## DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &amp; NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1249.60	9.40	1259.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: ... 1249.60	18.00 27.40	18.00 1277.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 18.00 (का)	...	18.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कार्यालय भवन की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) For meeting the additional requirement on Acquisition of Office Building.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## मांग संख्या DEMAND NO. 49

## स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

## DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1008.00	...	1008.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1008.02</b>	...	<b>1008.02</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को परियोजना के कार्यान्वयन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान जैसा अनुदान मांग संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्थायी वित्त समिति द्वारा सिफारिशों के अनुसार आईसीएमआर की वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के निष्पादन के लिए अनुमोदन किया गया है। (₹ 195.60 करोड़)
- (ii) भोपाल मैमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) में पुराने उपकरणों को बदलने और आईसीएमआर के तहत विभिन्न संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु आईसीएमआर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 84.00 करोड़)
- (iii) राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआईएच), भोपाल और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र (एनसीडीआईआर), बंगलूरु में नव सृजित पदों को भरने की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु आईसीएमआर को वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)
- बचत के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) (i) आईसीएमआर के तहत कार्यशील 32 संस्थानों केन्द्रों की संचालन लागत और भोपाल गैस पीड़ितों को दवा की बढ़ी कीमत की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए आईसीएमआर को सामान्य अनुदान (₹ 66.10 करोड़)।
- (ii) बीएमएचआरसी, भोपाल में रिक्त पदों को भरने, कार्मिकों को मंहगाई भत्ते बकाया वेतनवृद्धि के भुगतान और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों को पंचवर्षीय मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु आईसीएमआर को वेतन सहायता अनुदान (₹ 27.90 करोड़)।
- बचत के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research (ICMR), New Delhi for meeting additional requirement on implementation of project as approved by the Scientific Expert Committee of ICMR for carrying out research activities as per the recommendations of the Standing Committee of Parliament on Demands for Grants and for new projects approved by Standing Finance Committee (₹ 195.60 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets to ICMR for additional requirement for replacement of old equipments in Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (BMHRC), Bhopal and procurement of equipments for different institutes under ICMR (₹ 84.00 crore)
- (iii) Grants-in-aid salaries to ICMR for additional requirement for filling up of newly created posts in National Institute of Research in Environment Health (NIREH), Bhopal and National Centre for Diseases Informatics and Research (NCDIR), Bangaluru. (₹ 2.00 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General to ICMR for meeting additional requirement on operational cost of 32 Institute/Centres functioning under ICMR and increased cost of medicine for gas victims of Bhopal (₹ 66.10 crore).
- (ii) Grants-in-aid Salaries to ICMR for meeting additional requirement for filling up of vacant posts in BMHRC, Bhopal, payment of DA/arrears/increment to the staff and on account of Five Yearly Assessment of Scientists of the ICMR (₹ 27.90 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 51

## भारी उद्योग विभाग

## DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये )

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	स्वीकृत:	Voted: 461.41	567.56	1028.97
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
	स्वीकृत:	Voted: ...	328.46	328.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 442.54	0.03	442.57
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>903.95</b>	<b>896.05</b>	<b>1800.00</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: ...	442.54 (का)	442.54
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4858 - अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4858 - Capital Outlay on Engineering Industries	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4860 - Capital Outlay on Consumer Industries	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	0.01 (घद)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Capital Section)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>442.55</b>	<b>442.57</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) एचएमटी के पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार बुक समायोजन के तौर पर भारत सरकार ऋण पर ब्याज की छूट (₹ 201.88 करोड़) और गारंटी फीस की छूट (₹ 3.76 करोड़) और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।
- (ii) एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लिमि. के पुनर्गठन पैकेज के अनुसार बुक समायोजन के तौर पर भारत सरकार को ऋण पर ब्याज की छूट (₹ 38.99 करोड़) और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।
- (iii) एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लिमि. के पुनर्गठन पैकेज के तौर पर संचयी हानि के खिलाफ भारत सरकार की इक्विटी का अंशदान (₹ 12.95 करोड़) और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।

- (a) (i) Waiver of interest on Gol loan (₹ 201.88 crore) and on Guarantee fee (₹ 3.76 crore) as per the revival plan of HMT Ltd. as book adjustment and no cash outgo is involved.
- (ii) Waiver of interest on Gol loans (₹ 38.99 crore) as per restructuring package of Andrew Yule and Co. Ltd as book adjustment and no cash outgo is involved.
- (iii) Writing off of Gol equity against accumulated losses (₹ 12.95 crore) as per restructuring package of Andrew Yule and Co. Ltd as book adjustment and no cash outgo is involved.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(iv) भारी इंजीनियरिंग कापरिशन लिमि. के बुक समायोजन के तौर पर पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 हेतु गारंटी फीस की छूट (₹ 2.53 करोड़) और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।	(iv) Waiver of guarantee fee (₹ 2.53 crore) for FY 2013-14 as per revival plan of Heavy Engineering Cooperation Ltd. as book adjustment and no cash outgo is involved.
(v) अनुमोदित पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार भारतीय इंजीनियरिंग को-ऑपरेशन लिमि. के पूंजी प्राप्ति कर देयता पूरा करना। इसमें कोई नकद नहीं देना होगा।	(v) Meeting the Capital Gain Tax Liability of Heavy Engineering Cooperation Ltd. (Rs 182.43 crore) as per the approved revival plan. This will entail cash outgo.
(ख) कंपनियों की अनुमोदित पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार, एचएमटी लिमि. (₹ 443.74 करोड़) और एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लिमि. (₹ 41.52 करोड़) के संबंध में सरकारी ऋण की इक्विटी में अंतरण। इसके लिए सांकेतिक पूरक की मांग है।	(b) Conversion of loan into equity in respect of HMT Ltd (₹ 443.74 crore) and Andrew Yule and Company Ltd (₹ 41.52 crore) as per approved revival plan of the companies. A token supplementary is sought for the necessary accounting adjustments.
(ग) एनईपीए लिमि. के पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार निधियों का भारत सरकार की इक्विटी के रूप में सम्मिश्रण (₹ 54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।	(c) Infusion of Funds in the form of Govt equity (₹ 54 crore) as per the revival plan of NEPA Ltd. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
(घ) अनुमोदित पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार एनईपीए को गैर-आयोजना ऋण के तौर पर नकद हानि को पूरा करना (₹ 17.18 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।	(d) Meeting the cash losses (₹ 17.18 crore) as Non-Plan loan to NEPA Ltd as per the approved revival plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 53

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2108.51	65.35	2173.86
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
		2108.52	65.35	2173.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एनडीसीसी-II बिल्डिंग के किराये के भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 18.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on payment of rent towards NDCC II building (₹ 18.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस  
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 9.94	2.92	12.86
	स्वीकृत:	Voted: 43386.99	9104.96	52491.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 8.17	...	8.17
	स्वीकृत:	Voted: 2222.11	1.02	2223.13
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>45627.21</b>	<b>9108.90</b>	<b>54736.11</b>
	भारित:	Charged: 18.11	2.92	21.03
	स्वीकृत:	Voted: 45609.10	9105.98	54715.08

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged: ...	8.17 (का)	8.17	
	स्वीकृत:	Voted: ...	2222.11 (खb)	2222.11	
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>2230.28</b>	<b>2230.28</b>	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (गc)	1.00 (घd)	1.01	
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>1.00</b>	<b>1.02</b>	
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>0.02</b>	<b>2231.28</b>	<b>2231.30</b>	
	भारित:	Charged: ...	8.17	8.17	
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	2223.11	2223.13	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
2055 - पुलिस	2055 - Police	...	(-) 2.00	(-) 2.00
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	...	(-) 1.00	(-) 1.00

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(क) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कार्मिकों के लिए टर्मिनल ग्रेच्युटी का भुगतान।<br/>अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>  | <p>(a) payment of terminal gratuity for personnel of Sashastra Seema Bal (SSB) as per directions of Supreme Court of India.<br/>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>  |
| <p>(ख) निम्नलिखित पर व्यय (i) वेतन (₹ 2220.11 करोड़), पेट्रोल और ल्यूब्रिकेन्ट्स (₹ 41.01 करोड़), दिल्ली पुलिस हेतु अन्य प्रभार (V) (₹ 71.00 करोड़) और निर्भया कोष (₹ 2.00 करोड़)।<br/>निर्भया कोष से व्यय को पूरा करने के पश्चात् अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग में बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>                | <p>(b) expenditure on (i) Salaries (₹ 2220.11 crore), Petrol Oil and Lubricants (₹ 41.01 crore), Other Charges (V) for Delhi Police (₹ 71.00 crore) and utilisation under Nirbhaya Fund (₹ 2.00 crore).<br/>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, after meeting expenditure out of Nirbhaya Fund and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(ग) (i) भारत-बंगलादेश सीमा पर निर्माण कार्य के तहत कंटीले तार की बाड़ लगाने (₹ 20.00 करोड़) और बॉर्डर आउट पोस्ट (₹ 20.00 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।<br/>(ii) सीमा सुरक्षा बल की बॉर्डर आउट पोस्ट संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 11.57 करोड़)।<br/>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p>  | <p>(c) (i) meeting additional expenditure on Erection of Barbed Wire Fencing (₹ 20.00 crore) and Border Out Post (₹ 20.00 crore) under Indo-Bangladesh Border Works.<br/>(ii) meeting additional expenditure on Border Out Posts of Border Security Force (₹ 11.57 crore).<br/>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>  |
| <p>(घ) (i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 15.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (₹ 50.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (₹ 0.14 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹ 60.00 करोड़) के मोटर वाहनों संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।<br/>(ii) निर्भया निधि संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 60.00 करोड़)।<br/>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, और निर्भया निधि से व्यय को पूरा करने के पश्चात् कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(d) (i) meeting additional expenditure on Motor Vehicles of Central Reserve Police Force (₹ 15.00 crore), Border Security Force (₹ 50.00 crore), National Crime Records Bureau (₹ 0.14 crore) and Delhi Police (₹ 60.00 crore).<br/>(ii) utilisation under Nirbhaya Fund (₹ 1.00 crore).<br/>Taking into account the savings available in the same section of the Grant and after meeting expenditure out of Nirbhaya Fund, this will not entail cash outgo.</p>                               |
| <p>(ङ) (i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिहायशी बिल्डिंग संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 60.00 करोड़)।<br/>(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिहायशी बिल्डिंग संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30.00 करोड़)।<br/>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p>  | <p>(e) (i) meeting additional expenditure on Residential Building of Central Reserve Police Force (₹ 60.00 crore).<br/>(ii) meeting additional expenditure on Office Building of Central Reserve Police Force (₹ 30.00 crore).<br/>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>  |

## मांग संख्या DEMAND NO. 56

## गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

## OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	1969.11	96.03	2065.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1969.16	96.04	2065.20	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	1969.13	96.04	2065.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 - Other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 - Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted:</b>	<b>...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted:</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) पूर्वोक्त में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 5.50 करोड़)।	(a)	(i) meeting additional expenditure under Civic Action Programme in North East (₹ 5.50 crore).
	(ii) जम्मू व कश्मीर में सिविक एक्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना (₹ 2.02 करोड़)।		(ii) meeting expenditure under Civic Action Programme in Jammu and Kashmir (₹ 2.02 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
(ख)	(i) पब्लिकेशन के अन्तर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.80 करोड़)।	(b)	(i) meeting additional expenditure of National Disaster Management Authority under Publication (₹ 0.80 crore).
	(ii) विज्ञापन तथा प्रचार के अन्तर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पॉसिव फोर्स के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)।		(ii) meeting additional expenditure of National Disaster Responsive Force under Advertisement and Publicity (₹ 0.10 crore).
	(iii) किराया, दर तथा कर के अन्तर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पॉसिव फोर्स के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.60 करोड़)।		(iii) meeting additional expenditure of National Disaster Responsive Force under Rent, Rates and Taxes (₹ 1.60 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
(ग) नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स के आवासीय भवन के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.09 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(c) meeting additional expenditure under Residential Building of National Disaster Responsive Force (₹ 0.09 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 57

## संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

## TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	2262.79	72.00	2334.79	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.64	9.96	10.60	
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>2263.43</b>	<b>81.96</b>	<b>2345.39</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.64 (का)	...	0.64
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
7602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	स्वीकृत: 7602 - Loans and Advances to Union Territory Governments	Voted:	9.96 (खब)	...	9.96
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted:</b>	<b>10.60</b>	...	<b>10.60</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को मतिस्वकी प्रबंधन तथा सतत् आजीविका स्कीम हेतु संघराज्य क्षेत्र पुडुचेरी को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना। चूंकि यह प्राप्तियों के अनुरूप है, तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) पुडुचेरी सरकार को हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध कराना।
- अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त, व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing grant as pass through assistance from World Bank to UT of Puducherry for the scheme 'Fisheries Management and Sustainable Livelihood'. As it is matched by receipts, a technical supplementary is sought. There would be no cash outgo.
- (b) providing loan as pass through assistance from World Bank to Government of Puducherry for Hydrology Project.
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO. 58

## आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1468.02	...	1468.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1468.05</b>	...	<b>1468.05</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	...	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नई योजना अर्थात् राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के लिए सब्सिडी (₹ 50.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के मीडिया प्रचार हेतु विज्ञापन तथा प्रचार के प्रावधान को बढ़ाना (₹ 75.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ हेतु शहरी गरीबों के लिए शेल्टर निर्माण/उन्नयन (₹ 21.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) subsidy (₹ 50.00 crore) for the new scheme Rajiv Rin Yojana (RRY). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) augment the provision of Advertisement and Publicity (₹ 75.00 crore) for media campaign for Rajiv Awas Yojana (RAY). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General (₹ 21.00 crore) for construction/ upgradation of shelters for urban poor for benefit of North Eastern Areas and Sikkim. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 59

## विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

## DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	77130.00	...	77130.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>77130.02</b>	...	<b>77130.02</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग मुख्य शीर्ष</b>	<b>REVENUE SECTION MAJOR HEAD</b>			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	...	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सर्वशिक्षा अभियान के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों के तहत अध्यापकों के वेतन/आवर्ती अनुदान की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2142.44 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (ख) (i) पूर्वोत्तर प्रदेशों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों के तहत अध्यापकों के वेतन/आवर्ती अनुदान की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 238.05 करोड़)
- (ii) भाषा अध्यापकों की नियुक्ति स्कीम के तहत मिजोरम और नागालैण्ड राज्य में अध्यापक के वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 27.44 करोड़)
- (iii) राज्यों में गैर-आवर्ती व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए "माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रा हॉस्टल के निर्माण व संचालन" के लिए स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6.80 करोड़)
- (iv) त्रिपुरा और असम राज्य में गैर-आवृत्ति/आवृत्ति अनुदानों के निर्गमन हेतु "विद्यालयों में सूचना और संप्रेषण तकनीक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.50 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for meeting the additional requirement of Teacher's salary/ recurring grant under General/ SCSP/ TSP components (₹ 2142.44 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for meeting the additional requirement of Teacher's salary/ recurring grant under General/ SCSP/ TSP components for NER (₹ 238.05 crore)
- (ii) Grants-in-aid General under the scheme 'Appointments of Language Teachers' for meeting the additional requirement of Teacher's salary in the State of Mizoram and Nagaland (₹ 27.44 crore)
- (iii) Grants for creation of capital asset under the scheme for 'Construction and running of Girls' hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools' for meeting the additional requirements of non-recurring expenditure in States (₹ 6.80 crore)
- (iv) Grants-in-aid General under the scheme 'Information and Communication Technology in Schools' for releasing the non-recurring/ recurring grants to the State of Tripura and Assam (₹ 14.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 60

## उच्च शिक्षा विभाग

## DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 08 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 08 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	26750.00	...	26750.00
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	200.00	...	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>26950.04</b>	<b>...</b>	<b>26950.04</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 - General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 - Technical Education	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घ)	...	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'ग्राण्ट्स टू नेशनल बुक ट्रस्ट/इन्स्टीट्यूशन आफ बुक प्रमोशन' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) (i) 'कापीराइट आफिस' को सहायता अनुदान सामान्य (0.60 करोड़ रुपए)।  
(ii) 'कापीराइट आफिस' को सहायता अनुदान वेतन (0.40 करोड़ रुपए)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।(ग) 'नेशनल इन्स्टीट्यूट्स आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुमान (8.00 करोड़ रुपए)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(घ) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (100.00 करोड़ रुपए) (2) भारतीय प्रबंधन संस्थान (11.61 करोड़ रुपए) (3) अन्य संस्थानों, जिनमें संत लॉगोवाल इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, नार्थ ईस्टर्न रिजनल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme 'Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion' (₹ 10.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General to 'Copy Right Office' (₹ 0.60 crore)  
(ii) Grants-in-aid Salaries to 'Copy Right Office' (₹ 0.40 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.(c) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme 'National Institutes of Technical Teachers Training and Research' (₹ 8.00 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) National Institute of Technology (₹ 100.00 crore) (2) Indian Institutes of Management (₹ 11.61 crore) (3) Assistance to other institutes including Sant Longowal Institute of Engineering &amp; Technology, North Eastern

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

---

एण्ड टेक्नालाजी, नेशनल इन्स्टीट्यूट फार फोर्ज एण्ड फाउण्डरी टेक्नालाजी शामिल हैं, को सहायता (38.38 करोड़ रुपए) और (4) मानद विश्वविद्यालयों को अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

Regional Institute of Science & Technology, National Institute for Forge & Foundary Technology and Central Institute of Technology. (₹ 38.38 crore) and (4) Grants to Deemed Universities (₹ 0.01 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 61

## सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	3006.85	28.80	3035.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	1.70	1.73
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3006.88</b>	<b>30.50</b>	<b>3037.38</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 - Secretariat-Social Services	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 - Information and Publicity	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4220 - Capital Outlay on Information and Publicity	Voted: 1.70 (घद)	...	1.70
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 1.72</b>	<b>0.01</b>	<b>1.73</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(क) 'सामाजिक माडिया प्रकोष्ठ'स्कीम (₹ 2 करोड़), और (ii) प्रसारण विंग का स्वचालन (₹ 9.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> <p>(ख) डीएवीपी की रिवैपिंग एण्ड रिस्ट्रक्चरिंग (₹ 6.50 करोड़); और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) के प्रचालन व्यय (₹ 3.50 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> <p>(ग) भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा संपत्ति कर के बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 1 करोड़) को पूरा करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> <p>(घ) 'सिरी फोर्ट कंप्लेक्स का उन्नयन' (₹ 2 करोड़), 'सूचना भवन का निर्माण' (₹ 2.40 करोड़), 'राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र का निर्माण' (₹ 1.60 करोड़) और 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी) का सुदृढीकरण' (₹ 1.50 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। उसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के राजस्व (आयोजना) भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, ₹ 1.70 करोड़ के तकनीकी पूरक की मांग है।</p> | <p>(a) meeting additional expenditure towards (i) 'Social Media Cell' Scheme (₹ 2 crore) and (ii) Automation of Broadcasting Wing (₹ 9.50 crore). As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting additional expenditure towards (i) 'revamping &amp; restructuring of DAVP' (₹ 6.50 crore); and (ii) operational expenses of Electronic Media Monitoring Centre (EMMC) (₹ 3.50 crore). As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) meeting additional expenditure towards payment of arrears of property tax by Indian Institute of Mass Communication (IIMC) (₹ 1 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) meeting additional expenditure on 'Upgradation of Siri Fort Complex' (₹ 2 crore), 'Construction of Soochna Bhawan' (₹ 2.40 crore), 'Construction of National Media Centre' (₹ 1.60 crore), and 'Strengthening of Electronic Media Monitoring Centre (EMMC)' (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in same section and savings available in Revenue (Plan) section of the grant, a technical supplementary of ₹ 1.70 crore is sought.</p> |
|---|---|

## मांग संख्या DEMAND NO. 64

## विधि और न्याय

## LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1805.45	10.02	1815.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1805.49</b>	<b>10.02</b>	<b>1815.51</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) न्याय पालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु संघशासित राज्य क्षेत्रों (विधान सभा रहित) को अनुदानों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।
- (ii) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 108.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) इंटरनेशनल सेंटर फोर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन (आईसीएडीआर) को बिल्डिंग के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5.51 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) राज्य सरकार को न्यायपालिका को अवसंरचना सुविधाओं हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 756.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा रहित) को न्यायपालिका को अवसंरचना सुविधाओं हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 40.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of capital assets for grants to UTs (without Legislature) for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 20.00 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for Computerization of District and Subordinate Courts (₹ 108.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for creation of capital assets for release grants to International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) for construction of Building (₹ 5.51 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General to State Government for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 756.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General to UTs (without Legislature) for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 40.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 66

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	3210.91	78.80	3289.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3210.92</b>	<b>78.80</b>	<b>3289.72</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) पेंशनधारकों के निम्नलिखित देय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (₹ 21.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता सहित ₹ 59.93 करोड़), और (ii) कॉयर उद्योग (₹ 2.90 करोड़) और निम्नलिखित हेतु वेतन सहायता अनुदान (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (₹ 19.27 करोड़), और (ii) कॉयर उद्योग (₹ 3.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Providing (1) Grants-in-Aid General towards pensioner's dues of (i) Khadi and Village Industries Commission (₹ 59.93 crore including additional requirement of ₹ 21.80 crore) and (ii) Coir Industries (₹ 2.90 crore) and (2) Grants-in-Aid Salaries towards (i) Khadi and Village Industries Commission (₹ 19.27 crore) and (ii) Coir Industries (₹ 3.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 67

## खान मंत्रालय

## MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted:	744.50	246.53	991.03
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2.00	98.14	100.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	746.55	349.67	1096.22	
	भारित:	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted:	746.50	349.67	1096.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	5.00	...	5.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ओशन गोइंग रिसर्च वेसेल के संबंध में परामर्शी शुल्क के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement towards payment of Consultancy Fees with regard to procurement of the Ocean Going Research Vessel of Geological Survey of India. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## मांग संख्या DEMAND NO. 69

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1434.05	99.50	1533.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	183.41	...	183.41
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1617.46</b>	<b>99.50</b>	<b>1716.96</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 183.41	...	183.41
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	(-) 183.41	...	(-) 183.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न के लिए ऑफ ग्रीड/वितरित व विकेन्द्रीत नवीकरणीय विद्युत के तहत सामान्य-सहायता अनुदान (क) सौरान्ति सिंचाई योजना के तहत बिहार के 6 जिलों में गांवों में 560 सौर फोटोवोल्टेक (एसपीवी) वाटर पंपिंग सिस्टम संस्थापित करने के लिए (₹ 3.50 करोड़), (ख) नार्थ 24, परगना जिला, पश्चिम बंगाल के कालतला ग्राम पंचायत हिंगालेगेज ब्लॉक के तहत नौ विद्युत रहित गांवों में कुल 2.98 के मिनी ग्रीड एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना (₹ 44.64 करोड़), (ग) भारत भर में डीजल उपभोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 500 किलोवाट तक आकार वाले एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना (₹ 21.40 करोड़) (घ) नाबार्ड के माध्यम से एसपीवी लाइट्स और लघु क्षमता एसपीवी सिस्टम की संस्थापना (₹ 23.71 करोड़), जवाहर लाल नेहरू सौर अभियान के तहत विभिन्न भारतीय रेलवे अवस्थितियों पर पुल 4 मैगावाट विद्युत क्षमता तक के एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना, (₹ 8.00 करोड़ ) और (च) आईआईटी, मुंबई के माध्यम से कार्यन्वयन हेतु 1 मिलियन स्टडी लाइट का स्थानीयकरण (₹ 14.81 करोड़) (ii) निम्नलिखित के तहत ऑफ/ग्रीड वितरित व विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत-सौर के तहत सब्सिडी (₹ 62.35 करोड़) जारी करना (क) समुदाय कुकिंग, प्रोसेस हीटिंग और शीतलन अनुप्रयोगों के लिए 40 मध्यम और उच्च ताप विकेन्द्रीकृत सौर तकनीक (सीएसटी) की संस्थापना (₹ 10.00 करोड़) और (ख) नेशनल हाऊसिंग बैंक के माध्यम से सौर वाटर हीटिंग सिस्टम, होम लाइटिंग सिस्टम, सौर स्ट्रीट लाइट्स की संस्थापना

The supplementary grant is required for:

(i) releasing Grants-in-aid General under Off-grid/ distributed and decentralized renewable power - Solar Power for (a) to install 560 numbers of Solar Photovoltaic (SPV) water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar under Saurkranti Sichai Yojana (₹ 3.50 crore), (b) installation of mini-grid SPV power plants aggregating 2.98 Mwp in Nine unelectrified villages under Kalitala Gram Panchayat Hingalganj Block of North 24, Pargana District, West Bengal (₹ 44.64 crore), (c) installation of SPV power plants upto size of 500 kWp in different diesel consuming sectors throughout India (₹ 21.40 crore), (d) installation of SPV lights and small capacity SPV systems through National Agriculture Bank for Rural Development (NABARD) (₹ 23.71 crore), (e) installation of SPV power plants aggregating to 4 MWp capacity at different Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 8.00 crore ), and (f) Localization of 1 Million study light to be implemented through Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai (₹ 14.81 crore) (ii) to release subsidy of (₹ 62.35 crore) under Off-grid/distributed and decentralized renewable power -Solar Power for (a) installation of 40 numbers of

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(₹ 52.35 करोड़) (iii) वर्तमान केप्टिव पावर प्लांट के साथ सौर ताप के एकीकरण के लिए श्री सीमेंट में एकीकृत सौर परियोजना (5 एमडब्ल्यूई) के तौर पर प्रस्तावित परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-सौर में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)। चूंकि व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।

Medium and high temperature Concentrated Solar Technology (CSTs) for community cooking, process heat and cooling applications (₹ 10.00 crore), and (b) installation of Solar Water Heating Systems, Home Lighting Systems, Solar Street Lights through National Housing Bank (₹ 52.35 crore). (iii) To release Grants-in-aid General of ₹ 5.00 crore under Research, Design and Development in Renewable Energy-Solar for project proposal Ras Integrated Solar Project (5Mwe) at Shree Cement for integration of a Solar Thermal with an existing captive power plant. As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 73

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
<b>I. मूल अनुदान:</b>		<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
	भारित:	Charged:	19.97	5.00	24.97	
	स्वीकृत:	Voted:	869.90	125.07	994.97	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	भारित:	Charged:	2.27	...	2.27	
	स्वीकृत:	Voted:	8.15	...	8.15	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		900.29	130.07	1030.36	
	भारित:	Charged:	22.24	5.00	27.24	
	स्वीकृत:	Voted:	878.05	125.07	1003.12	
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
<b>राजस्व भाग मुख्य शीर्ष</b>		<b>REVENUE SECTION MAJOR HEAD</b>				
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:	...	0.40 (का)	0.40
	स्वीकृत:		Voted:	...	8.15 (खb)	8.15
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	भारित:	2070 - Other Administrative Services	Charged:	...	1.87 (गc)	1.87
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	10.42	10.42	
	भारित:		Charged:	...	2.27	2.27
	स्वीकृत:		Voted:	...	8.15	8.15
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			The supplementary grant/appropriation are required for:			
(क)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत कर्ताओं की फंसी धनराशि की प्रतिपूर्ति। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।		(a)	re-imbursement of trap money to complainants in Central Bureau of Investigation (CBI). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.		
(ख)	(i)	सीबीआई के गोल्डन जुबली उत्सवों संबंधी कार्यालयी व्यय को अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.15 करोड़)।	(b)	(i)	meeting additional expenditure on Office Expenses of CBI for Golden Jubilee Celebrations (₹ 3.15 crore).	
	(ii)	सीबीआई मेडीकल चिकित्सा (₹ 1.00 करोड़) और किराया, दरों व करों (₹ 4.00 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।  अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।		(ii)	meeting additional expenditure on Medical Treatment (₹ 1.00 crore) and Rent, Rates and Taxes (₹ 4.00 crore) of CBI. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.	
(ग)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के गोल्डन जुबली उत्सव के कार्यालयी व्यय (₹ 1.12 करोड़), और विज्ञापन व प्रचार (₹ 0.75 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।  अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।		(c)	meeting additional expenditure of Central Vigilance Commission on Office Expenses (₹ 1.12 crore) and Advertising and Publicity (₹ 0.75 crore) for Golden Jubilee Celebrations. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.		

## मांग संख्या DEMAND NO. 74

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	65187.41	1.00	65188.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	10336.00	...	10336.00
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>75523.41</b>	<b>1.00</b>	<b>75524.41</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted: ...	10336.00	10336.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पेट्रोलियम नियामक बोर्ड का स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 7.17 करोड़)। (ख) तेल विपणन कंपनियों को भुगतान देना, (i) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित व्यय वसूली की क्षतिपूर्ति के रूप में, और (ii) "एलपीजी उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम" के तहत नकद सब्सिडी का भुगतान (₹ 1,336 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में ₹ 7.17 करोड़ की बचतों के मद्देनजर, इसमें ₹ 10,336 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting establishment related expenditure of Petroleum Regulatory Board (₹ 7.17 crore), (b) releasing payments to Oil Marketing Companies, (i) as compensation towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products (₹ 9,000 crore) and (ii) payment for cash subsidy under "Direct Benefit Transfer to LPG Consumers (DBTL) Scheme" (₹ 1,336 crore). Taking into account the savings of ₹ 7.17 crore within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 10,336 crore.

## मांग संख्या DEMAND NO. 76

## विद्युत मंत्रालय

## MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	8045.85	2778.05	10823.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	125.00	125.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>8045.87</b>	<b>2903.05</b>	<b>10948.92</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects	Voted: 125.00 (गक)	...	125.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 125.01</b>	<b>0.01</b>	<b>125.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) छह उत्तर-पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़कर, मैं विद्युत व्यवस्था परियोजना के सुधार का व्यय पूरा करना (₹ 62.35 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गोवा और संघ प्रदेश कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ग) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत व्यय पूरा करना। (₹ 125 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for improvement of power system project in six North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim (₹ 62.35 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting establishment related expenditure of the office of Joint Electricity Regulatory Commission Goa and Union Territories (₹ 1.50 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme (₹ 125 crore). As savings are available in the Revenue Section of the Grant, technical supplementary is sought.

## संख्या NO. 77 (विनियोग)(APPROPRIATION)

## राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

## STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
भारित:	Charged:	34.54	...	34.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	4.50	...	4.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	39.04	...	39.04
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	भारित: 2012 - President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	Charged: ...	4.50	4.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सचिवालयी वेतन (₹ 1.58 crore), (ii) नए खुले शीर्ष "ओ ए ई" (₹ 0.10 करोड़), (iii) पारिवारिक वेतन (₹ 1.20 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय (₹ 1.50 करोड़) (v) दौरा संबंधी व्यय (₹ 0.02 करोड़) (vi) अन्य व्यय (₹ 0.33 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.23 करोड़ की बचतों को देखते हुए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

(i) Secretariat Salaries (₹ 1.58 crore), (ii) (newly opened head "OAE" (₹ 0.10 crore), (iii) Household Salaries (₹ 1.20 crore), (iv) Office Expenses (₹ 1.50 crore), (v) Tour Expenses (₹ 0.02 crore), (vi) Other Expenses (₹ 0.33 crore).

Taking into account the savings of ₹ 0.23 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO. 83

## ग्रामीण विकास विभाग

## DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	113304.85	...	113304.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>113304.87</b>	...	<b>113304.87</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत: 2501 -Special Programmes for Rural Development	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	...	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	जम्मू व कश्मीर के लिए कौशल विकास एवं रोजगार स्कीम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 40 करोड़) को पूरा करना।	(a)	(i)	Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 40 crore) under Skill Empowerment and Employment Scheme for J&K.
	(ii)	नेशनल रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 6.14 करोड़) को पूरा करना।		(ii)	Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 6.14 crore) for grants to National Rural Livelihood Promotion Society.
	(iii)	एनआरएलएम के तहत 150 जनपदों में सभी महिला स्वसहायता समूहों को व्यय अनुदान के लिए सामान्य सहायता अनुदान आवश्यकता उपलब्ध कराना (₹ 652 करोड़)।		(iii)	Providing requirement as Grants-in-aid General (₹ 652 crore) towards Interest Subvention to all women Self Help Groups in 150 districts under NRLM.
	(iv)	एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत रुरल लाइवलीहुड फाउंडेशन को सामान्य सहायता अनुदान आवश्यकता उपलब्ध कराना। (₹ 200 करोड़)।		(iv)	Providing requirement as Grants-in-aid General (₹ 200 crore) towards Bharat Rural Livelihood Foundation under NRLM.
(ख)	(i)	डीआरडीए प्रशासन के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 150 करोड़) को पूरा करना।	(b)	(i)	Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 150 crore) under DRDA Administration.
	(ii)	बीपीएल सर्वेक्षण के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए अन्य प्रभार के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 247.29 करोड़) पूरा करना।		(ii)	Meeting the additional requirement as Other Charges (₹ 247.29 crore) towards Administrative Expenses under BPL survey.

अनुदान के उसी भाग में अनुपातिक बचतें उपलब्ध होने के कारण, उपर्युक्त सभी प्रस्तावों के लिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

As matching savings are available within the same section of the Grant, all the above proposals are sought as token supplementary.

## मांग संख्या DEMAND NO. 84

## भूमि संसाधन विभाग

## DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 5772.85	...	5772.85
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
		5772.86	...	5772.86
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2506 - भू सुधार	स्वीकृत: 2506 -Land Reforms	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल लैंड रिकार्ड्स माडरनाइजेशन प्रोग्रैम के प्रोफेशन सहायता शीर्ष के अन्तर्गत निधियों (₹ 50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement of funds (₹ 50 crore) under Profession Support head of National Land Records Modernisation Programme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 88

## नौवहन मंत्रालय

## MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1392.28	658.39	2050.67
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: ...	0.01	0.01
		1392.28	658.40	2050.68
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मोरमुगवा पोर्ट ट्रस्ट की कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट (₹ 14.95 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Capital dredging project of Mormugao Port Trust (₹ 14.95 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 89

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	6420.32	305.00	6725.32	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>6420.34</b>	<b>305.00</b>	<b>6725.34</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अनु.जाति को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 600.00 करोड़), (ii) अनु.जाति को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 170.00 करोड़), (iii) अन्य पिछड़े वर्ग को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 161.00 करोड़), अनु.जाति छात्रों की मेरिट के उन्नयन हेतु (₹ 2.00 करोड़), (iv) अनु.जाति के उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए (₹ 2.00 करोड़), और (v) मलिन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में (₹ 1.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

(ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को वेतन के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 0.55 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing Scholarship under Direct Benefit Transfer in the Scheme of Post Matric Scholarship for SCs (₹ 600.00 crore), (ii) Pre-Matric Scholarship for SCs (₹ 170.00 crore), (iii) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 161 crore), Upgradation of Merit of SC Students (₹ 2.00 crore), (iv) Top Class Education for SCs (₹ 2.00 crore) and (v) Pre-Matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations (₹ 1.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is proposed.

(b) Releasing Grants-in-aid for Salaries to the National Institute of Social Defence (₹ 0.55 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is proposed.

## मांग संख्या DEMAND NO. 91

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	4935.53	16.15	4951.68
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>4935.56</b>	<b>16.15</b>	<b>4951.71</b>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2553 - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	स्वीकृत: 2553 -Mps Local Area Development Scheme	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	<b>...</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |   |  |
|---|--|
| <p>(क) स्वतंत्र एजेंसी/एजेंसियों के जरिए और राज्य/जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण मानीटरिंग के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) स्कीम के तहत व्यय पूरा करना (₹ 5.00 करोड़)</p> <p>(ख) (i) ज्ञान प्रशिक्षण के प्रचार-प्रसार संगठनों, परियोजना प्रबंधन पहलों को वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान, जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग के तीन प्रभागों यथा : (अवसंरचना और परियोजना मॉनीटरिंग प्रभाग (आईपीएमडी), बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) की गतिविधियों के बेहतर व अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है। (₹ 0.25 करोड़)</p> <p>(ii) आर्थिक जनगणना की आयोजना स्कीम के तहत विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्र के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p> | <p>(a) meeting the expenditure under the scheme Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) towards monitoring through independent agency(ies) and for capacity building, training to State/District Officials (₹ 5.00 crore).</p> <p>(b) (i) Grants-in-aid General for extending financial assistance to organizations for dissemination of knowledge training, project management initiatives which help in better and more effective implementation of the activities of the three divisions of Programme Implementation wing i.e. (Infrastructure and Project Monitoring Division(IPMD), Twenty Point Programme (TPP) and Member of Parliament Local Area Development Scheme( MPLADS) (₹ 0.25 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid General to Central Statistical Organization to UTs without legislation under the activities of Plan Scheme of Economic Census (₹ 1.00 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

## मांग संख्या DEMAND NO. 93

## कपड़ा मंत्रालय

## MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	5423.92	7.67	5431.59
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	96.00	...	96.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.06	0.50	0.56
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>5519.98</b>	<b>8.17</b>	<b>5528.15</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (घद)	0.01 (डे)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (चफ)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	0.50 (छग)	0.50
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 0.03</b>	<b>0.53</b>	<b>0.56</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) परियोजनाओं को मंजूरी के लिए व्यापक हथकरघा विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 24.50 करोड़) पूरी करना।
- (ii) उत्तर पूर्वी प्रदेश की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए व्यापक हथकरघा विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.50 करोड़) पूरी करना।
- (iii) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए डिजाइन और तकनीकी उन्नयन स्कीम में सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।
- (iv) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.40 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Meeting additional requirement (₹ 24.50 crore) as Grants-in-aid-General in Comprehensive Handloom Development Scheme for sanction of Projects.
- (ii) Additional requirement (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets in Comprehensive Handloom Development Scheme for sanction of NER Projects
- (iii) Additional requirement (₹ 1 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Design & Technical Up-gradation for sanction of NER Projects.
- (iv) Additional requirement (₹ 0.40 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojna for sanction of NER Projects.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ix) बीज संगठन (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.41 करोड़)।	(ix) Additional requirement (₹ 1.41 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Seed Organization (Sericulture).
(v) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए विपणन सहायता व सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2.00 करोड़)।	(v) Additional requirement (₹ 2 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Market Support & Services for sanction of NER Projects.
(vi) विपणन सहायता व सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता के लिए अनुसंधान और विकास स्कीम के तहत अन्य प्रभार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड़) अपेक्षित है।	(vi) Additional requirement (₹ 0.25 crore) is required for other charges under scheme Research & Development for sanction of NER Projects.
(vii) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी हेतु मानव संसाधन विकास स्कीम में सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।	(vii) Additional requirement (₹ 1 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Human Resource Development for sanction of NER Projects.
(viii) बीज संगठन (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.63 करोड़)।	(viii) Additional requirement (₹ 0.63 crore) as Grants-in-aid-General under the scheme Seed Organization (Sericulture).
(x) समन्वय और विपणन विकास (एचआरडी) (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.05 करोड़)।	(x) Additional requirement (₹ 0.05 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Co-ordination & Marketing Development (HRD) (Sericulture).
(xi) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.27 करोड़)।	(xi) Additional requirement (₹ 0.27 crore) as Grant-in-aid-General under the scheme Catalytic Development Programme (CDP) (Sericulture) for meeting the committed liability.
(xii) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 20.85 करोड़)।	(xii) Additional requirement (₹ 20.85 crore) as Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under the scheme Catalytic Development Programme (CDP) (Sericulture) for meeting the committed liability.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
(ख) (i) डिजाइन और तकनीकी विकास (हस्तशिल्प) के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4.00 करोड़)।	(b) (i) Additional requirement (₹ 4 crore) as Grants-in-aid General under Design & Technical Development (Handicraft) for meeting the committed liability.
(ii) बाबा साहब आंबेडकर हस्तशिल्प योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.50 करोड़) अपेक्षित है।	(ii) Additional requirement (₹ 1.50 crore) as Grants-in-aid General under Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojana.
(iii) विपणन सहायता और सेवा के तहत सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4.50 करोड़)।	(iii) Additional requirement (₹ 4.50 crore) as Grants-in-aid General under Marketing Support & Services.
(iv) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास स्कीम (हस्तशिल्प) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.20 करोड़)।	(iv) Additional requirement (₹ 3.20 crore) as Grants-in-aid General under Human Resource Development Scheme (Handicraft) for meeting the committed liability.
(v) डिजाइन और तकनीकी विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.50 करोड़)।	(v) Additional requirement (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Design & Technical Development.
(vi) मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड़)।	(vi) Additional requirement (₹ 0.25 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Human Resource Development for meeting the committed liability.
(vii) डिजाइन और तकनीकी विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.20 करोड़)।	(vii) Additional requirement (₹ 0.20 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Design & Technical Development.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(viii)	अनुसंधान और विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.10 करोड़)	(viii)	Additional requirement (Rs 0.10 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Research & Development.
(ix)	मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड़)।	(ix)	Additional requirement (₹ 0.25 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Human Resource Development.
(x)	प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए तकनीक और सूचना तथा तकनीक के अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण हस्तांतरण (सेरी कल्केचर) तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.97 करोड़)।	(x)	Additional requirement (₹ 3.97 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Scheme Research & Development Training Transfer of Technology & IT Initiative (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
(xi)	बीज संगठन स्कीम (सेरीकल्चर) के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 11.34 करोड़)।	(xi)	Additional requirement (₹ 11.34 crore) as Grants-in-aid General under the Seed Organizations scheme (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
(xii)	बीज संगठन स्कीम (सेरीकल्चर) के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2.26 करोड़)।	(xii)	Additional requirement (Rs 2.26 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Seed Organizations scheme (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
(xiii)	समन्वय और विपणन विकास (एचआरडी) (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.13 करोड़)।	(xiii)	Additional requirement (Rs 0.13 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Co-ordination & Marketing Development (HRD) (Sericulture) scheme.
(xiv)	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 89.30 करोड़)।	(xiv)	Additional requirement (₹ 89.30 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Catalytic Development Programme.
(xv)	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.32 करोड़)।	(xv)	Additional requirement (₹ 1.32 crore) as Grant in aid creation of capital asset under the scheme Catalytic Development Programme.
(xvi)	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 18.12 करोड़)।	(xvi)	Additional requirement (₹ 18.12 crore) as Grant in aid creation of capital asset under the scheme Catalytic Development Programme.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.	
(ग)	केंद्रीय सिल्क बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन, सांविधिक देय आदि के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 19.67 करोड़)। बराबर बचत उपलब्ध है। अतः सांकेतिक पूरक की मांग है।	(c)	Additionality (₹ 19.67 crore) as Grant-in-aid Salaries for payment of salaries, statutory dues etc. to the employees of Central Silk Board. Matching savings are available. Hence, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) जूट तकनीक मिशन स्कीम के प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए जूट तकनीक मिशन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त निधि (₹ 39.67 करोड़)।	(d)	(i) Additional funds (₹ 39.67 crore) as Grant-in-aid General under the scheme Jute Technology Mission for meeting the committed liabilities of the erstwhile Jute Technology Mission Scheme.
(ii)	नई आयोजना स्कीम नामतः कर्मचारी हॉस्टल के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 15.00 करोड़)।	(ii)	Additional funds (₹ 15 crore) as in Grant-in-aid General under the New Plan Scheme namely Workers Hostel.
(iii)	नई आयोजना स्कीम नामतः फ्लैटेड फैक्टरी-कम-इन्क्यूबेटर के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 10.00 करोड़)।	(iii)	Additional funds (₹ 10 crore) as Grant-in-aid General under the New Plan Scheme namely Flatted Factory-cum-Incubators.
चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।		As matching saving are available under same section of grant, a token supplementary is sought.	
(ङ)	(i) जूट पर उपकर के संग्रहण के खिलाफ जूट विनिर्माण विकास परिषद (राष्ट्रीय जूट बोर्ड) को भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 35.51 करोड़)।	(e)	(i) meeting the requirement (₹ 35.51 crore) as Grant-in-aid-general for payment to Development Council for Jute Manufacture (National Jute Board) against collection of cess on Jute.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(ii) भारतीय जूट निगम को प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए बाजार सहायता के लिए सब्सिडी हेतु अतिरिक्त निधि (₹ 6.59 करोड़) अपेक्षित है।</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>(ii) Additional fund (₹ 6.59 crore) is required for subsidy to Jute Corporation of India toward market support for meeting committed liabilities.</p> <p>As matching saving are available under same section of Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) संचयी स्टॉक में से बिक्री किए गए हथकरघा कपड़े के मूल्य की तत्समय 10 प्रतिशत की विशेष छूट के प्रतिबद्ध दायित्व के समायोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 14.72 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>(f) Additional requirement (₹ 14.72 crore) as Grant-in-aid General to set off the committed liability of erstwhile special rebate of 10% of the value of Handloom cloth sold out of accumulated stock. As matching saving are available under same section of Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(छ) सीसीईए द्वारा अनुमोदित पुनसज्जीवन आयोजना के शेष राशि के नाते बर्ड जूट और निर्यात लिमिटेड को वेतन व अन्य प्रशासनिक व्यय के भुगतान के लिए आवश्यकता (₹ 0.50 करोड़)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समान राशि का अभ्यर्पण किया जाएगा, सांकेतिक पूरक की मांग है।</p>	<p>(g) Requirement (₹ 0.50 crore) towards payment of Salary and Other Administrative Expenses of Birds Jute and Export Limited being the balance amount of the Revival plan approved by CCEA. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section of the Grant, a technical supplementary is sought.</p>

## मांग संख्या DEMAND NO. 94

## पर्यटन मंत्रालय

## MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	1355.30	2.00	1357.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	1.00	1.02
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1355.32</b>	<b>3.00</b>	<b>1358.32</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: <b>Total (Revenue Section)</b>	<b>Voted: 0.02</b>	...	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted: 1.00 (गक)	...	1.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: 1.02</b>	...	<b>1.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) केंद्रीय एजेंसियों को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए सहायता स्कीम के तहत संयुक्त विकास रेलवे स्टेशन के लिए पर्यटन मंत्रालय का अंश रेल मंत्रालय को जारी करना (₹ 25 करोड़) (ii) उत्पाद/अवसंरचना के तहत गतव्य और सर्किट के लिए जारी स्कीमों के संबंध में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 60.00 करोड़). (iii) हुनर से रोजगार स्कीम और दो नए लेखा शीर्षों अर्थात् घरेलू यात्रा व्यय व कार्यालयी व्यय के तहत स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 0.30 करोड़) चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) उत्पाद/अवसंरचना विकास के तहत गतव्य और सर्किट के लिए जारी स्कीमों की अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 40 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ग) बुद्धिष्ठ केंद्रों के अधीन जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान (₹ 1.50 करोड़) अनुदान के राजस्व भाग में बचतों (₹ 1 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग में बचत (₹ 0.50 करोड़) के उपयोग के बाद, इस व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) releasing share of Ministry of Tourism to Ministry of Railways for joint development railway stations under the scheme Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development (₹ 25 crore) (ii) meeting additional expenditure under Central Financial Assistance on ongoing schemes under Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 60.00 crore). (iii) meeting establishment related expenditure under the scheme of Huner se Rozgar (₹ 0.30 crore) and for opening of two new object heads of accounts i.e. Domestic Travel Expenses and Office Expenses. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure on ongoing schemes under Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 40 crore). As savings are available under same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) payment to consultants for JICA aided projects under Bhudhist Centres (₹ 1.50 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 1 crore) in the Revenue Section of the Grant, and after utilizing the saving (₹ 0.50 crore) within the same Section of the Grant, the expenditure will not entail any additional cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO. 95

## जनजाति कार्य मंत्रालय

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 3782.23	...	3782.23
	स्वीकृत:	Voted: 443.71	70.00	513.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 74.35	...	74.35
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>4300.30</b>	<b>70.00</b>	<b>4370.30</b>
	भारित:	Charged: 3856.58	...	3856.58
	स्वीकृत:	Voted: 443.72	70.00	513.72
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग मुख्य शीर्ष</b>	<b>REVENUE SECTION MAJOR HEAD</b>			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	भारित: 3601 - Grants-in-aid to State Governments	Charged: 74.35 (खब)	...	74.35
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>74.36</b>	<b>...</b>	<b>74.36</b>
	भारित:	Charged: 74.35	...	74.35
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क)	(i)	"निम्न साक्षरता वाले जिलों में जनजाति लड़कियों में शिक्षा का सुदृढीकरण" स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)	(a)	(i)	Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme "Strengthening of Education among ST Girls in Low Literacy Districts".
	(ii)	"जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षक" स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़)		(ii)	Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme "Vocational Training in Tribal Areas".
	(iii)	"अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप" स्कीम के तहत छात्रवृत्ति (डीबीटी के तहत) (₹ 10.00 करोड़)		(iii)	Scholarship (under DBT) (₹ 10.00 crore) under the scheme "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students".
	(iv)	"उत्कृष्ट संस्थान/श्रेष्ठ शिक्षा स्कीम" के तहत छात्रवृत्ति (डीबीटी के तहत छात्रवृत्ति) (₹ 4.00 करोड़)		(iv)	Scholarship (under DBT) (₹ 4.00 crore) under the "Scheme of Institutes of Excellence / Top Class Education".
	(v)	नई स्कीम विश्व बैंक परियोजना जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुधार के तहत विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत ₹ 1.16 करोड़ की राशि मुहैया करना।		(v)	providing amount of ₹ 1.16 crore under different object heads under the new scheme - World Bank Project - Improving Development Programmes in the Tribal Areas.
	(vi)	"न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से गौण वन उत्पाद (एमएफपी) का विपणन तंत्र स्कीम के तहत सहायता अनुदान (₹ 5.65 करोड़)		(vi)	Grants-in-aid General (₹ 5.65 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of value Chain for MFP.

**अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	(i) "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षक" स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)	(b)	(i) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme "Vocational Training in Tribal Areas".
	(ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से गौण वन उत्पाद (एमएफपी) का विपणन तंत्र स्कीम के तहत सहायता अनुदान (₹ 119.35 करोड़)		(ii) Grants-in-aid General (₹ 119.35 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of value Chain for MFP.
अनुदान के राजस्व-एकीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण (₹ 74.35 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचतों (₹ 47.00 करोड़) के उपयोग के पश्चात उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings (₹ 74.35 crore) available in the Revenue-Voted Section of the Grant, and after utilising the savings of (₹ 47.00 crore) within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.	

मांग संख्या DEMAND NO. 96  
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	2631.69	671.72	3303.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	122.27	...	122.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2753.97	671.72	3425.69	
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	2753.96	671.72	3425.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Culture</b>				
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Home Affairs</b>				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Power</b>				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	122.22 (गc)	122.22
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Road Transport and Highways</b>				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Rural Development</b>				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: <b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted:</b>	<b>0.05</b>	<b>122.22</b>	<b>122.27</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- |   |  |
|---|--|
| (क) विज्ञान केन्द्र ऐड सोसाइटी को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.90 करोड़)।<br>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है। | (a) meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General to Society for Science Centre. (₹ 0.90 crore)<br>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) अंडमान आदिम जयंती विकास समिति को (₹ 5.00 करोड़) तथा आदिवासी परिषद को (₹ 2.25 करोड़) का सहायता अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराया।                                    | (b) providing additional Grants-in-aid General to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹ 5.00 crore) and to Tribal Council (₹ 2.25 crore).   |

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	विद्युत उत्पादन हेतु एचएसडी की खरीद हेतु ₹ 160.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग में Rs. 37.78 करोड़ बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 160.00 crore for purchase of HSD for Power generation. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 37.78 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 1.70 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(d)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs (₹ 1.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 1.21 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(e)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs (₹ 1.21 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(f)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs (₹ 0.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 97

## चण्डीगढ़

## CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:	Voted:	2922.51	549.12	3471.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2942.44	549.18	3491.62
	भारित:	Charged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:	Voted:	2922.51	549.13	3471.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted:	...	0.01
					0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भू-स्वामियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 135.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on making payment of enhanced compensation to the land owners (₹ 135.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 100

## लक्षद्वीप

## LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिये)

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
स्वीकृत:	Voted:	778.43	246.30	1024.73	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04	
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>778.47</b>	<b>246.30</b>	<b>1024.77</b>	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
<b>कृषि मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Agriculture</b>				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: ...	0.01 (कa)	0.01	
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत: 2405 -Fisheries	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01	
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Health and Family Welfare</b>				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01	
<b>उच्चतर शिक्षा विभाग</b>	<b>Department of Higher Education</b>				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01	
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 240 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 3.75 करोड़)
- (ख) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 130 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 1.25 करोड़)
- (ग) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 200 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 2 करोड़)
- (घ) पंचायती राज्य संस्थानों में स्थानांतरित लगभग 1200 शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 24 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 240 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 3.75 crore).
- (b) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 130 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 1.25 crore).
- (c) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 200 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 2 crore).
- (d) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 1200 teachers and non teaching employees transferred to Panchayati Raj Institutions (₹ 24 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementaries are sought in each case.

## मांग संख्या DEMAND NO. 101

## शहरी विकास विभाग

## DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 44.42	26.00	70.42
	स्वीकृत:	Voted: 1281.29	6945.07	8226.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 11.87	21.70	33.57
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1337.60	6992.78	8330.38
	भारित:	Charged: 56.29	47.70	103.99
	स्वीकृत:	Voted: 1281.31	6945.08	8226.39
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2216 - आवास	भारित: 2216 - Housing	Charged: ...	11.87 (का)	11.87
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 - Urban Development	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	11.87	11.89
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4216 - Capital Outlay on Housing	Charged: ...	21.70 (घद)	21.70
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	21.71	21.71
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	33.58	33.60
	भारित:	Charged: ...	33.57	33.57
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रपति संपदा हेतु गौण निर्माण (₹ 5.87 करोड़) और किराया दरें और कर (₹ 6 करोड़)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा;
- (ख) जीईएफ-विश्व बैंक से शहरी परिवहन-सहायता में क्षमता निर्माण के तहत पेशेवर सेवा (₹ 5 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1 करोड़) और जेएनएनयूआरएम को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.10 करोड़) का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Minor works (₹ 5.87 crore) and Rent, Rates and Taxes (₹ 6 crore) for President's Estates. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Meeting the expenditure of Professional Services (₹ 5 crore), Other Administrative Expenses (₹ 1 crore) under Capacity Building in Urban Transport-Assistance from GEF-World Bank and Grants-in-aid General of JnNURM (₹ 4.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जपापूर्ति में बढ़ोतरी के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।	(c) Grants for creation of capital assets (₹ 1 crore) for Augmentation of Water Supply in North Eastern Areas. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) राष्ट्रपति संपदा हेतु प्रमुख कार्य (₹ 21.70 करोड़)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।	(d) Major Works (₹ 21.70 crore) for President's Estates. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ङ) लोकसभा हेतु प्रमुख कार्य (₹ 40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।	(e) Major works of Lok Sabha (₹ 40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 102

## लोक निर्माण कार्य

## PUBLIC WORKS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये )

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: 1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted: 1469.49	558.25	2027.74
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
	स्वीकृत:	Voted: ...	25.00	25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.01	0.02
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1470.53</b>	<b>584.26</b>	<b>2054.79</b>
	भारित:	Charged: 1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted: 1469.50	583.26	2052.76
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत: Total (Supplementary)</b>	<b>Voted: ...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लेखा संगठन में प्रशिक्षण की लागत पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

(ख) लोक सभा (₹ 50 करोड़) और उच्चतम न्यायालय (₹ 45 करोड़) के प्रमुख कार्य। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the cost of training in the Accounts organization (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Major Works of Lok Sabha (₹ 50 crore) and Supreme Court (₹ 45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO. 104

## जल संसाधन मंत्रालय

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
	भारित:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 1902.10	196.55	2098.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1902.13</b>	<b>200.55</b>	<b>2102.68</b>
	भारित:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 1902.13	196.55	2098.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

							जोड़ Total
				आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan		
<b>राजस्व भाग</b>		<b>REVENUE SECTION</b>					
<b>मुख्य शीर्ष</b>		<b>MAJOR HEAD</b>					
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01	
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>स्वीकृत:</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>Voted:</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "क्षमता निर्माण कार्यक्रम" स्कीम के तहत स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान करना (₹ 10 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 4.45 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) महाराष्ट्र में बोडवार्ड सिंचाई परियोजना को एक बार केंद्रीय सहायता के निर्गम हेतु नए लेखा शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional allocation for establishment related expenditure under the scheme "Capacity Building Programme" (₹ 10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought
- (b) providing Grants-in-aid- General to National Institute of Hydrology (₹ 4.45 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) opening of new heads of accounts for release of one time Central Assistance for Bodward Irrigation project in Maharashtra (₹ 0.01 crore).

## मांग संख्या DEMAND NO. 105

## महिला और बाल विकास मंत्रालय

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	20440.00	...	20440.00
<b>पूरक अनुदान:</b>	<b>SUPPLEMENTARY GRANT:</b>			
स्वीकृत:	Voted:	200.00	...	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>20640.01</b>	<b>...</b>	<b>20640.01</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के यात्रा व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)
- (ii) मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी और खाली पदों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु राष्ट्रीय लोक निगम और बाल विकास संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.31 crore)
- (iii) पेंशन में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु राष्ट्रीय लोक निगम और बाल विकास संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.38 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement towards travel expenses of Chairperson and Members of National Commission for Women. (₹ 0.10 crore)
- (ii) Grants-in-aid salary to National Institute of Public Corporation and Child Development for meeting the additional requirement due to enhancement of DA and provision of vacant posts. (₹ 2.31 crore)
- (iii) Grants-in-aid General to National Institute of Public Corporation and Child Development for meeting the additional requirement due to enhancement of pension etc. (₹ 0.38 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2012-13.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2013-2014 Budget Estimates 2013-2014	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय <b>Ministry of Environment &amp; Forests</b>	2406.01.003.05.02.01 वेतन 2406.01.003.05.02.01 Salaries	2.30	0.95	वेतन की पूर्ति हेतु। To meet Salaries.
		2406.01.003.05.02.27 लघु निर्माण कार्य 2406.01.003.05.02.27 Minor Works	1.00	0.79	अकादमी (आईजीएनएफए) के रख- रखाव के संबंध में व्यय पूरा करने हेतु। To meet the expenses in connection with maintenance of the Academy (AIGNFA)
		2406.01.005.01.00.06 चिकित्सा सुविधाएँ 2406.01.005.01.00.06 Medical Treatment	0.08	0.10	मेडीकल उपचार के लंबित बिलों के निपयन हेतु For settlement of Pending bills of medical treatment.
		2406.01.005.01.00.11 घरेलू यात्रा व्यय 2406.01.005.01.00.11 Domestic Travel Expenses	0.50	0.15	अधिकारियों द्वारा अत्यधिक दौरा करने और ग्राउंड ट्रथिंग व वन/टीओएफ प्रविष्टि हेतु फील्ड के कारण Due to extensive touring done by the officers and field for ground truthing and forest/TOF inventory.
		2406.01.005.01.00.13 कार्यालयी व्यय 2406.01.005.01.00.13 Office Expenses	1.00	0.40	लंबित बिलों के निपटान हेतु। For clearing the pending bills.
		2406.01.101.02.00.02 पारिश्रमिक 2406.01.101.02.00.02 Wages	0.09	0.06	पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए To meet the committed expenditure on wages.
		2406.01.101.02.00.06 मेडीकल चिकित्सा 2406.01.101.02.00.06 Medical Treatment	0.14	0.08	मेडीकल उपचार संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए To meet the committed expenditure on Medical Treatment

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2406.01.101.02.00.13	कार्यालय व्यय			भंडार की मर्दे, विद्युत, टेलीफोन, पानी, पेट्रोल आदि के मूल्यों में बढोत्तरी व भुगतान हेतु लंबित बिलों के कारण
	2406.01.101.02.00.13	Office Expenses	1.08	0.36	Due to increase in prices of store items, electricity, telephone, water, petrol etc and pending bills for payment.
	2406.01.101.02.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय			प्रतिबद्ध व्यय और लंबित बिलों के लिए
	2406.01.101.02.00.20	Other Administrative Expenses	0.13	0.09	To meet the committed expenditure & Pending Bills.
	2406.02.110.05.06.21	आपूर्ति एवं सामग्री			एडवांसड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कंप्यूटरों को बदलने के लिए
	2406.02.110.05.06.21	Supplies & Material	0.14	0.16	For replacement of computers for the advance training courses.
	2406.02.110.05.06.27	लघु निर्माण कार्य			केलोनिवि द्वारा लंबित सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु
	2406.02.110.05.06.27	Minor Works	0.20	0.25	For Pending Civil & Electrical works by CPWD.
	3435.01.001.01.00.02	पारिश्रमिक			नैमित्तिक मजदूर से काम लेने पर बिल के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
	3435.01.001.01.00.02	Wages	0.11	0.03	To meet committed expenditure for payment of bill towards engagement of casual labour.
	3435.01.001.02.00.13	कार्यालयी व्यय			स्टेशनरी, टेलीफोन बिलों, उपस्कर आदि की खरीद पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
	3435.01.001.02.00.13	Office Expenses	0.02	0.01	To meet committed expenditure on stationery, telephone bills, purchases of equipment etc.
	3435.01.001.02.00.28	पेशेवर सेवाएं			सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने लिए
	3435.01.001.02.00.28	Professional Services	0.20	0.40	For deployment of police for security.
	3435.01.001.03.00.02	पारिश्रमिक			पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय के लिए
	3435.01.001.03.00.02	Wages	0.21	0.06	To meet committed expenditure on Wages.

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3435.01.001.03.00.11 घरेलू यात्रा व्यय			घरेलू यात्रा संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
		3435.01.001.03.00.11 Domestic Travel Expenses	0.06	0.02	To meet committed expenditure on Domestic Travel Expenses
		3435.01.004.01.00.13 कार्यालय व्यय			कार्यालयी व्यय पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
		3435.01.004.01.00.13 Office Expenses	0.11	0.04	To meet committed expenditure on Office Expenses
		3435.01.004.02.00.01 वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.01.004.02.00.01 Salaries	2.16	0.74	To meet Salaries.
		3435.01.004.02.00.02 पारिश्रमिक			पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
		3435.01.004.02.00.02 Wages	0.16	0.05	To meet committed expenditure on Wages.
		3435.01.004.02.00.11 घरेलू यात्रा व्यय			घरेलू यात्रा संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
		3435.01.004.02.00.11 Domestic Travel Expenses	0.25	0.18	To meet committed expenditure on Official tours.
		3435.01.004.02.00.13 कार्यालय व्यय			कार्यालयी व्यय पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए
		3435.01.004.02.00.13 Office Expenses	1.38	0.49	To meet committed expenditure on Office Expenses.
		3435.01.004.03.00.01 वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.01.004.03.00.01 Salaries	0.48	0.42	To meet Salaries.
		3435.01.004.03.00.16 प्रकाशन			अनुसंधान पेपर और सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु
		3435.01.004.03.00.16 Publications	0.25	0.20	For publication of research papers and survey reports.
		3435.01.005.01.00.27 लघु निर्माण कार्य			कार्यालय भवन के रख-रखाव हेतु।
		3435.01.005.01.00.27 Minor Works	0.10	0.03	For maintenance of office building.
		3435.02.001.01.00.01 वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.02.001.01.00.01 Salaries	1.00	0.40	To meet Salaries.

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	3435.02.004.01.00.01				
	वेतन				वेतन पूरा करने हेतु।
	3435.02.004.01.00.01				
	Salaries		1.60	0.55	To meet Salaries.
	3435.02.004.01.00.13				
	कार्यालय व्यय				लंबित बिलों, बिजली टेलीफोन के लंबित बिलों के भुगतान, पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के लिए
	3435.02.004.01.00.13				For payment of pending bills,
	Office Expenses		0.70	0.45	electricity/telephone bills, hike in Petrol/Diesel Prices.
	3435.02.004.01.00.21				
	आपूर्ति एवं सामग्री				वैज्ञानिक यंत्र व रसायन आदि की खरीद के लिए
	3435.02.004.01.00.21				For Purchase of scientific
	Supplies & Material		0.55	0.30	instruments and chemicals etc.
	3435.02.004.02.00.21				
	आपूर्ति एवं सामग्री				वैज्ञानिक यंत्र व रसायन आदि की खरीद के लिए
	3435.02.004.02.00.21				For Purchase of scientific
	Supplies & Material		0.35	0.10	instruments and chemicals etc.
	3435.03.003.03.02.06				
	मेडिकल चिकित्सा				अधिक मेडिकल दावों के कारण
	3435.03.003.03.02.06				
	Medical Treatment		0.03	0.02	Due to more medical claims.
	3435.03.003.03.01.13				
	कार्यालय व्यय				बिजली दर में बढ़ोत्तरी और अधिक कंप्यूटर लगाने के कारण
	3435.03.003.03.01.13				Due to increase of electricity rate
	Office Expenses		0.28	0.12	and installation of more computers.
	3435.04.103.14.06.21				
	आपूर्ति एवं सामग्री				आपूर्ति और सामग्री खरीदने हेतु।
	3435.04.103.14.06.21				For procurement of supply &
	Supplies & Material		0.06	0.08	Materials.
	3435.60.800.06.02.11				
	घरेलू यात्रा व्यय				टीईसी समिति की बैठक और दक्षिण सहयोग की बैठक आदि के व्यय पूरा करने के लिए
	3435.60.800.06.02.11				To meet expenses towards TEC
	Domestic Travel Expenses		0.20	0.30	committee meeting and south cooperation meeting etc.
	3435.60.800.06.02.50				
	अन्य प्रभार				टीईसी समिति की बैठक और दक्षिण सहयोग की बैठक आदि के व्यय पूरा करने के लिए
	3435.60.800.06.02.50				To meet expenses towards TEC
	Other Charges		0.10	0.10	committee meeting and south cooperation meeting etc.
	3451.00.090.29.00.06				
	मेडिकल चिकित्सा				मेडिकल उपचार के लंबित बिलों के निपटान हेतु

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3451.00.090.29.00.06 Medical Treatment	0.35	0.30	For settlement of Pending bills of medical treatment
		5425.00.208.05.00.06 मेडिकल चिकित्सा			मेडीकल उपचार के लंबित बिलों के निपटान हेतु
		5425.00.208.05.00.06 Medical Treatment	0.06	0.02	For settlement of Pending bills of medical treatment
2.	वित्त मंत्रालय/ राजस्व विभाग	<b>2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुख्य शीर्ष)</b> 00.001-निदेशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) <b>03-राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी</b> 03.01-स्थापन (विस्तृत शीर्ष) <b>03.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय</b>			आई.आर.एस. समूह के लिए इस समय चल रहे एम.सी.टी.पी. को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी को समर्थ बनाना।
	Ministry of Finance/ Department of Revenue	<b>2038-Union Excise Duties (Major Head)</b> 00.001-Direction and Administration (Minor Head) <b>03-National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)</b> 03.01-Establishment (Detail Head) <b>03.01.20-Other Administrative Expenses</b>	15.00	8.35	To enable NACEN to successfully complete the currently ongoing MCTP for IRS Group.
		<b>2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुख्य शीर्ष)</b> 00.001-निदेशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) <b>05-प्रचार और लोक सम्बंध निदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)</b> 05.02-स्थापन (विस्तृत शीर्ष) <b>05.02.26-विज्ञापन और प्रचार</b>			स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस) के प्रचार अभियान के लिए धनराशि की आवश्यकता थी।
		<b>2038-Union Excise Duties (Major Head)</b> 00.001-Direction and Administration (Minor Head) <b>05-Directorate of Publicity &amp; Public Relations (Customs and Central Excise)</b> 05.02-Establishment (Detail Head) <b>05.02.26-Advertising &amp; Publicity</b>	30.00	5.00	Fund required for publicity campaign for Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES).
3.	गृह मंत्रालय	<b>ब.अ. 2013-14</b> 2052.00.090.37.01.28 व्यावसायिक सेवाएं			वर्ष 2012-13 में वित्त मंत्रालय द्वारा वसूल किए गए अनिवार्य कर के कारण व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित फाइलें स्वीकृत नहीं की जा सकी तथा बैकलाग को वर्तमान वित्त वर्ष पूरा किया गया। अतएव इस शीर्ष में कमी रही।
	Ministry of Home Affairs	<b>BE - 2013-14</b> 2052.00.090.37.01.28 Professional Services	1.27	1.70	Due to mandatory cut levied by M/o Finance, during the year 2012-13 files pertaining 'Professional Services' could not be cleared and the backlog is cleared in this current financial year. Hence there is shortfall in this head.

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
4.	केबिनेट	ब.अ. 2013-14 2013.00.106.01.01.27 व्यावसायिक सेवाएं			डीपीजी में नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यू डी को भुगतान हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि।
	Cabinet	BE - 2013-14 2013.00.106.01.01.27 Minor Works	0.75	1.40	The additional amount required for payment of CPWD for renovation/modernisation works in DPG.
5.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	ब.अ. 2012-13 2235.60.200.01.00.50 अन्य प्रभार			कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी के कारण घरों के रख-रखाव की लागत में बढ़ोतरी के कारण
	Other Expenditure of MHA	BE - 2012-13 2235.60.200.01.00.50 Other Charges	0.08	0.02	Due to increase in cost of maintenance of the Home due to rise in pay & allowances of employees & cost of essential commodities.
6.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	विद्युत मंत्रालय एमएच-4801 विद्युत पर पूंजीगत परिव्यय सब हेड-01 विद्युत संयंत्र एवं अनुषंगी निर्माण कार्य (आपूर्ति एवं सामग्री)			पोओएल की खरीद पर व्यय को पूरा करना।
	Andaman and Nicobar Islands	Ministry of Power MH-4801 Capital Outlay on Power Sub Head -01 Power Plant and Ancillary Works (Supplies and Materials)	5.70	19.95	To meet the expenditure on purchase of POL.
		विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एमएच-2202 सामान्य शिक्षा सब हेड-02 प्राथमिक शिक्षा			वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना।
		Department of School Education and Literacy MH-2202 General Education Sub Head-02 Primary Education	171.84	5.58	To meet the expenditure on Salaries.
		पोत परिवहन मंत्रालय एमएच-3052 शिपिंग 02 महाद्वीप-द्वीप पोत के प्रचालनात्मक प्रभार			प्रचालनात्मक व्यय, कू भुगतान, महाद्वीप-द्वीपपोत के संबंध में आईओसी तथा सीपीटी को भुगतान विषयक व्यय को पूरा करना।
		सब हेड-04 अंतः द्वीप पोत के प्रचालनात्मक प्रभार एमएच-5052 शिपिंग पर पूंजीगत परिव्यय			अंतः द्वीप तथा फोरशोर सेक्टर में समुद्री यात्रा बढ़ने के कारण पीओएल व्यय को पूरा करना।
		सब हेड-01 पोत खरीद			प्रशासनिक पोत निर्माण हेतु स्टेज भुगतान को पूरा करना के लिए व्यय को पूरा करना।

## अनुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	<b>Ministry of Shipping</b>				
	MH-3052 Shipping				To meet the expenditure on operational expenses, Crew payment, payment to IOC and CPT in respect of mainland-island vessel.
	Sub Head-02 Operational Charges of Mainland-Islands Vessels	46.05	10.00		
	Sub Head-04 Operational Charges of Inter-Islands Vessels	128.80	20.00		To meet the expenditure of POL due to increase of voyage in Inter-Island and foreshore Sector
	MH 5052 Capital Outlay on Shipping				To meet the expenditure for making stage payment for construction of Administration's Vessel.
	Sub Head-01 Purchase of Ships	81.25	7.60		
	<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>				
	एमएच-4216 आवास संबंधी पूंजीगत परियोजना				विभिन्न द्वीपों में सरकारी क्वार्टरों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
	सब हेड-05 बिल्डिंग				
	<b>Ministry of Urban Development</b>				
	MH-4216 Capital Outlay on Housing				To meet the additional expenditure on construction of Govt. quarters in different Islands.
	Sub Head-05 Building	9.41	4.45		
7.	<b>एड्स नियंत्रण विभाग</b>	2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य			
	06101 रोग रोकथाम व नियंत्रण				
	3317 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-वैश्विक निधि सहायता प्राप्त परियोजना (ईएसी) को अनुदान				निधि की वर्धित आवश्यकता पूरी करने हेतु पुनःविनियोजन किया गया।
	331726-विज्ञापन एवं प्रचार				
	<b>Department of AIDS Control</b>	2210 Medical and Public Health			
	06101 Prevention and Control of Diseases				
	3317 National AIDS Control Programme-Grants to Global Fund Assisted Project (EAC)				Re-appropriation carried out to meet out the increased requirement of fund.
	331726 Advertising and Publicity	5.00	15.00		
	2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य				
	06101 रोग रोकथाम व नियंत्रण				
	3325 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-अन्य व्यय (जीसी)				
	332526-विज्ञापन एवं प्रचार				
	2210 Medical and Public Health				
	06101 Prevention and Control of Diseases				निधि की वर्धित आवश्यकता पूरी करने हेतु पुनःविनियोजन किया गया।
	3325 National AIDS Control Programme-Other Expenses (GC)				Re-appropriation carried out to meet out the increased requirement of fund.
	332526-Advertising and Publicity	60.00	70.00		